मंडी समितियों के लिए उपविधि सन 2000

(माह अप्रैल 2026 की स्थिति में अद्यतन)

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

अनुक्रमणिका

कंडिका क्रमांक	विषय	पेज क्रमांक
अध्याय - एक प्रारंभिक		
1	संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ	
2	परिभाषाएं	
अध्याय - दो मंडी समिति के सम्मेलन एवं कार्य		
3	मंडी समिति के सम्मेलन	
4	सम्मेलन के प्रकार एवं विषय सूची	
5	सम्मेलन की सूचना	
6	सम्मेलनों में आवश्यक गणपूर्ति	
7	सम्मेलन में कार्य संपादन	
8	सम्मेलन का संचालन	
9	सम्मेलन में अध्यक्ष की शक्तियां	
10	कार्यवृत पुस्तक	
11	सम्मेलन की कार्यवाही की भाषा	
12	उप समितियों की रचना	
13	सचिव की उपस्थिति	
14	पारित प्रस्तावों का क्रियान्वयन	
अध्याय - तीन मंडी में विक्रय कार्य योजना		
15	मंडी में बिक्री कार्य योजना के लिए विशेष सम्मेलन	
अध्याय - चार विपणन का नियंत्रण अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का नियंत्रण		
16	अधिसूचित कृषि उपज का क्रय-विक्रय	
17	अनुबंध पत्रक / सौदा पत्रक के निष्पादन के पश्चात् की प्रक्रिया	
18	कृत्यकारियों को अनुज्ञप्ति स्वीकृत करना	

19	अनुज्ञप्ति का निलंबित अथवा रद्द किया जाना	
20	मंडी फीस उद्ग्रहण	
21	अभिलेखों की जांच	
22	अवशेष फीस का निर्धारण	
23	निरीक्षण की व्यवस्था	
24	मंडी प्रांगण में कृषि उपज की नाप तौल एवं उपकरणों का रख-रखाव	
25	मंडी प्रांगण की व्यवस्था	
26	मंडी क्षेत्र के कृत्यकारियों के पारिश्रमिक	
	अध्याय - पांच **मंडी प्रांगण के बाहर अन्य स्थान पर अधिसूचित कृषि उपज के क्रय-विक्रय का विनियमन**	
27	मंडी प्रांगण के बाहर अधिसूचित कृषि उपज क्रय करने हेतु विशिष्ट अनुज्ञप्ति	
28	विशिष्ट अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन की प्रक्रिया	
29	विशिष्ट अनुज्ञप्ति हेतु प्रतिभूति	
30	मंडी समिति द्वारा विशिष्ट अनुज्ञप्ति की स्वीकृति	
31	मंडी प्रांगण के बाहर क्रय केंद्रों पर विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराना	
32	विशिष्ट अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियतकालिक विवरणी प्रस्तुत करना	
33	क्रय केंद्रों पर अधिसूचित कृषि उपजों के परिवहन एवं निर्गमन की व्यवस्था पर नियंत्रण	
34	क्रय केंद्र पर अधिसूचित कृषि उपज के क्रय विक्रय की शर्तें	
35	क्रय केंद्रों से अधिसूचित कृषि उपज का निर्गमन एवं परिवहन	
36	क्रय केंद्रों पर क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज का भुगतान	
	अध्याय-छः **कृषि विपणन पुरस्कार योजना**	
37	कृषि विपणन पुरस्कार योजना	
	अध्याय - सात **संविदा खेती के अधीन अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का विनियमन**	
38	संविदा कृषि का अनुबंध और आदर्श विशिष्टियां तथा शर्तें	
39	संविदा खेती	

40	संविदा खेती का रजिस्ट्रीकरण (पंजीकरण)	
41	संविदा खेती के करार से उत्पन्न विवादों का निपटारा	
42	संविदा खेती के अधीन उत्पादित कृषि उपजों के विपणन का नियंत्रण	
43	निरसन तथा व्यावृत्तियां	

अध्याय एक
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ :-

(क) इन उपविधियों का नाम कृषि उपज मंडी समिति (मंडी समिति का नाम) मंडी समिति सम्मेलन, विपणन व्यवस्था एवं मंडी फीस उद्ग्रहण उपविधि 1999 होगा।

(ख) मंडी समिति का नाम कृषि उपज मंडी समिति ____ होगा।

(ग) कृषि उपज मंडी समिति का मंडी क्षेत्र निम्नानुसार घोषित है:

____

2. परिभाषाएं :-

जब तक प्रसंग या विषय से कोई बात इसके विपरीत न हो मंडी समिति की उपविधि में निम्नानुसार परिभाषाओं का उपयोग किया जाएगा।

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) अधिनियम की धारा (2) में जो परिभाषाएं उपयोग में लाई गई है इनका इन उपविधियों में अनुसरण किया जाएगा।

(ख) **"मंडी क्षेत्र"** से तात्पर्य उस क्षेत्र से हैं जो मध्यप्रदेश शासन कृषि विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक ____ दिनांक ____ के द्वारा निर्धारित किया गया है एवं जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र के दिनांक ____ के अंक के भाग ____ में पृष्ठ ____ में हो चुका है।

(ग) **"मंडी प्रांगण"** से तात्पर्य कृषि उपज मंडी ____ के प्रमुख मंडी प्रांगण से है जो मध्यप्रदेश शासन कृषि विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक ____ दिनांक ____ द्वारा निर्धारित किया गया है एवं जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र के दिनांक ____ में पृष्ठ के अंक ____ के भाग ____ में हो चुका है। इसमें वह सभी उपमंडी प्रांगण भी सम्मिलित होंगे जो समय-समय पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित तथा अधिसूचित किए गए हैं।

(घ) **"मूल मंडी"** से अभिप्रेत है कृषि उपज मंडी समिति ____ के मंडी प्रांगण/उपमंडी प्रांगण के लिए मध्यप्रदेश शासन कृषि विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक ____ दिनांक ____ द्वारा घोषित क्षेत्र।

(ङ) **"अनुज्ञप्ति"** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत मंडी समिति द्वारा मंजूर या नवीकृत अनुज्ञप्ति।

(च) **"भांडागारिक"** से अभिप्रेत है, ऐसा कृत्यकारी जो स्वयं के अथवा अन्य व्यक्ति से या संस्था से या संस्था के भंडार गृहों में अधिसूचित कृषि उपज भंडारण पारिश्रमिक के प्रतिफलस्वरूप करता हो, किंतु अधिसूचित कृषि उपज का व्यापार न करता हो।

(छ) **"तुलैया"** से अभिप्रेत ऐसे कृत्यकारी से है जो पारिश्रमिक के प्रतिफलस्वरूप कृषि उपज की तौल या माप का कार्य करे।

(ज) **"हम्माल"** से अभिप्रेत ऐसे कृत्यकारी से है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि उपज को हटाने के लिए स्वयं के श्रम से कार्य करे, गाड़ियों, ट्रको एवं अन्य वाहनों में कृषि उपज को लादे या उतारे, बोरों या अन्य पात्रों में कृषि उपज को भरे या खाली करे, कृषि उपज की तौल या माप में सहायता करे।

(झ) **"सर्वेक्षक"** से अभिप्रेत ऐसे कृत्यकारी से है जो कृषि उपज का उसके स्तर, श्रेणी, मिलावट या कटौतियों के संबंध में सर्वेक्षण करे तथा उसका श्रेणीकरण करे, किंतु अन्य किसी कृत्य यथा व्यापार, दलाली आदि में संलग्न न हो।

(ञ) **"क्रेता"** से अभिप्रेत ऐसे कृत्यकारी से है जो अधिसूचित कृषि उपज का वाणिज्यिक या प्रसंस्करण या विनिर्माण के उपयोग के लिए क्रय करे।

(ट) **"विक्रेता"** से अभिप्रेत ऐसे कृत्यकारी से है जो अधिसूचित कृषि उपज का विक्रय करे।

(ठ) **"अनुबंध"** से अभिप्रेत है, अधिसूचित कृषि उपज के क्रय-विक्रय का लिखित करार जो मंडी समिति में पदस्थ कर्मचारी द्वारा संपन्न कराया जाएं।

(ड) **"सौदा / ऑनलाइन सौदा"** से अभिप्रेत है अधिसूचित कृषि उपज, जो मंडी प्रांगण/ उपमंडी प्रांगण में विक्रय हेतु नहीं आई हो किंतु मंडी क्षेत्र के किसी स्थान के विक्रेता/ कृषक द्वारा एमपी फार्मगेट एप पर व्यापार की विहित प्रक्रिया अनुसार क्रेता व्यापारी को विक्रय की गई हो, के संबंध में विक्रेता/ कृषक एवं क्रेता व्यापारी के मध्य ऑनलाइन निष्पादित सौदा।

(ढ) **"मिलावट"** से अभिप्रेत ऐसी प्रक्रिया से है जो किसी उपज के स्तर को जानबूझकर कम करने के लिए प्रयुक्त की जाएं।

(ण) **"सूचना फलक"** से अभिप्रेत ऐसे फलक से है जो मंडी समिति के कार्यालय या मंडी प्रांगण में मंडी समिति द्वारा स्थापित किया जाएं।

(त) **"सम्मेलन"** से अभिप्रेत, मंडी समिति की बैठक से है जो अधिनियम, नियम या उपविधियों में विहित की गई रीतियों से आयोजित की जाएं।

(थ) **"प्रपत्र"** से अभिप्रेत है ऐसे प्रपत्रों से है जो अधिनियम, नियम या उपविधि द्वारा निर्धारित किए गए हो।

(द) **"मंडी कर्मचारी"** से अभिप्रेत ऐसे कर्मचारियों से है जो मंडी समिति में मंडी अधिनियम की धारा 26, 27, एवं 30 के अंतर्गत पदस्थ हैं।

(ध) **"आंचलिक कार्यालय"** से अभिप्रेत, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा प्रशासनिक दृष्टि से स्थापित किए गए आंचलिक कार्यालय से है।

(न) **"संयुक्त संचालक/ उप संचालक"** से अभिप्रेत है आंचलिक कार्यालय में पदस्थ प्रशासनिक अधिकारी।

(प) **"व्यापारिक संव्यवहार"** से अभिप्रेत है व्यापारिक लेनदेन, मंडी समिति को किए जाने वाले भुगतान, विवरणियां प्रस्तुत करने एव पत्राचार से संबंधित किए जाने वाला व्यवहार।

(फ) **"प्राथमिक संव्यवहार"** से अभिप्रेत है, अधिसूचित कृषि उपज का प्रथम बार विक्रय एवं क्रय।

(ब) **"वाणिज्यिक संव्यवहार"** से अभिप्रेत है मंडी क्षेत्र के अनुज्ञप्ति पत्र धारी व्यापारियों द्वारा मंडी फीस भुगतान की गई कृषि उपज का क्रय-विक्रय अथवा मंडी क्षेत्र के अनुज्ञप्ति धारी व्यापरियों द्वारा मंडी क्षेत्र के बाहर से मंडी शुल्क भुगतान की गई कृषि उपज को मंडी क्षेत्र में लाकर क्रय-विक्रय प्रसंस्करण या विनिर्माण करना।

(भ) **"मैनुअल"** से अभिप्रेत है, प्रबंध संचालक द्वारा क्रमांक __________ दिनांक __________ से जारी कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय मैनुअल।

(म) **"दलाल"** से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो अपने नियोक्ता व्यापारी की ओर से कृषि उपज के क्रय-विक्रय का सौदा कराए।

(य) **"कदाचरण"** से अभिप्रेत है मंडी समिति द्वारा जारी सूचना/ पत्र जानबूझकर प्राप्त नहीं करना/ टालना, मंडी समिति द्वारा जारी आदेश/ निर्देश का पालन नहीं करना अथवा जानबूझकर गलत जानकारी प्रस्तुत करना।

(र) **"विवरणियां"** से अभिप्रेत है अधिसूचित कृषि उपजों के क्रय, विक्रय, प्रसंस्करण या विनिर्माण से संबंधित संव्यवहारों के संबंध में प्रबंध संचालक द्वारा विहित किए गए प्ररूपों में ई-अनुज्ञा पोर्टल पर स्वतः generated नियत कालिक विवरण।

(ल) **"नियत कालिक अवधि"** से अभिप्रेत है ई-अनुज्ञा पोर्टल पर विवरणियां / जानकारी स्वतः generate होने के लिए अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में नियत की गई अवधि।

(ल-1) **"नियम 2009"** से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा अधिसूचित "मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिए विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009"।

(ल-2) **"नियम 2016"** से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा अधिसूचित "मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (ऑनलाइन व्यापार एवं ई-प्लेटफॉर्म अनुज्ञप्ति) नियम, 2016"।

(ल-3) **"ई-नाम पोर्टल"** से अभिप्रेत है कृषि उपज के ऑनलाइन व्यापार की सभी संबंधित गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाज़ार पोर्टल जोकि मंडी समिति के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।

(ल-4) **"एमपी फार्मगेट एप"** से अभिप्रेत है, राज्य के कृषि उपज उत्पादक-कृषकों को अपने घर, खेत से ही अर्थात अधिनियम के अधीन गठित मंडी समिति के अधिसूचित मंडी प्रांगण/ उप मंडी प्रांगण के बाहर, अधिसूचित कृषि उपज के विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बोर्ड द्वारा विकसित एवं प्रबंधित मोबाइल एप्लीकेशन जोकि मंडी समिति के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।

अध्याय दो

मंडी समिति के सम्मेलन एवं कार्य

3. मंडी समिति के सम्मेलन :-

अपने सुचारू कार्य संचालन हेतु मंडी समिति प्रत्येक माह में कम से कम एक बार अपना सम्मेलन अनिवार्यतः आयोजित करेगी। विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार प्रबंध संचालक अथवा क्षेत्रीय (आंचलिक) कार्यालय के संयुक्त संचालक/ उप संचालक मंडी बोर्ड अथवा कलेक्टर के निर्देश पर अध्यक्ष मंडी समिति द्वारा मंडी समिति का साधारण या विशेष सम्मेलन बुलाया जाएगा।

4. सम्मेलन के प्रकार एवं विषय सूची :-

मंडी समिति का सम्मेलन साधारण अथवा विशेष हो सकेगा। सम्मेलन की तिथि, समय, स्थान अध्यक्ष द्वारा तथा विचारार्थ विषय सचिव द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। साधारण सम्मेलन के लिए अध्यक्ष एवं मंडी समिति के कम से कम तीन निर्वाचित सदस्य सम्मेलन प्रारंभ होने से 48 घंटे पूर्व कोई व्यवहारिक विषय सम्मेलन की कार्य सूची में जोड़ने का आग्रह लिखित में मंडी सचिव को देंगे तो ऐसे विषयों को कार्यसूची में शामिल करना अनिवार्य होगा।

5. सम्मेलन की सूचना :-

प्रत्येक सम्मेलन की सूचना (जिसमें निर्धारित तिथि, समय, स्थान तथा विचारार्थ विषय स्पष्ट उल्लेखित होंगे) प्रत्येक ऐसे सदस्य को जो सम्मेलन में सम्मिलित होने हेतु सक्षम है, भेजी जाएगी तथा सूचना फलक पर भी चस्पा करके प्रदर्शित की जाएगी। सूचना अधिमान्यतः प्रेषण प्रमाण-पत्र के अंतर्गत (अंडर सर्टिफिकेट आफ पोस्टिंग) भेजी जाएगी। साधारण सम्मेलन की सूचना सम्मेलन की तिथि से 7 दिन पूर्व तथा विशेष सम्मेलन की सूचना सम्मेलन की तिथि से 3 दिन पूर्व भेजना अनिवार्य होगा। विशेष सम्मेलन की सूचना विशेष वाहक के द्वारा भेजना अनिवार्य होगा। सम्मेलन की सूचना सचिव के हस्ताक्षर से प्रेषित होगी।

6. सम्मेलनों में आवश्यक गणपूर्ति :-

(1) मंडी समिति के किसी भी सम्मेलन में समिति का गठन करने वाले तत्कालीन सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्यों का उपस्थित होना गणपूर्ति के लिए अनिवार्य होगा, गणपूर्ति के अभाव में सम्मेलन में कार्य संचालन नहीं हो सकेगा।

(2) सम्मेलन हेतु निर्धारित समय से आधे घंटे की अवधि के अंतर्गत यदि गणपूर्ति न हो सकी तो उसके अभाव में सम्मेलन अध्यक्ष द्वारा स्थगित किया जाएगा।

(3) उपविधि 6(2) के अनुसार स्थगित किया गया सम्मेलन स्थगन समय के कम से कम 48 घंटे पश्चात् पुनः आयोजित किया जा सकेगा। ऐसे पुनर्योजित सम्मेलन की सूचना केवल सूचना फलक पर ही प्रदर्शित की जाएगी और ऐसी सूचना मान्य होगी। पुनर्योजित ऐसे सम्मेलन में गणपूर्ति अनिवार्य नहीं होगी किंतु इसमें केवल वही कार्य संपन्न हो सकेगा जो मूल सम्मेलन (यदि वह स्थगित न होता) के लिए निर्धारित किया गया था।

7. सम्मेलन में कार्य संपादन :-

(1) मंडी समिति के सम्मेलन में केवल वही कार्य संपादित होगा जो संबंधित सूचना में उस सम्मेलन हेतु निर्धारित किया गया हो। किंतु विचारार्थ विषयों में निर्धारित न होते हुए भी

सचिव द्वारा प्रस्तावित और अध्यक्ष की अनुमति से कोई आवश्यक अन्य विषय को अतिरिक्त एजेंडा के रूप में विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(2) मंडी समिति का कोई भी प्रस्ताव पारित किए जाने के तीन माह के अंतर्गत सामान्यतः संशोधित या निरस्त नही किया जा सकेगा परंतु समिति के सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई सदस्य लिखकर पारित प्रस्ताव में संशोधन या उसके निरसन हेतु समावेदन प्रस्तुत करें तब संशोधन किया जा सकेगा। ऐसे समावेदन की प्राप्ति के अधिक से अधिक एक माह की अवधि के अंतर्गत उक्त समावेदन पर विचार किया जा सकेगा।

8. सम्मेलन का संचालन :-

(1) सम्मेलन का संचालन अधिनियम की धारा 16 के अनुसार यथा स्थिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा कार्यवाहक अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

(2) किसी प्रकरण में यदि मतभेद उपस्थित हो जाएं तो इसका निर्णय मतों द्वारा किया जाएगा। मतदान पर्ची पर प्रस्ताव के पक्ष में या विपक्ष में लिखकर होगा। यदि दोनो पक्षों में समान "मत" हो तो अध्यक्ष को द्वितीय या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(3) उपविधि 8(1) के अनुसार यदि सम्मेलन की कार्यवाही कार्यवाहक अध्यक्ष द्वारा संचालित की जा रही हो और इसी बीच अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष सम्मेलन के दौरान उपस्थित हो जाएं तो वह कार्यवाहक अध्यक्ष से अध्यक्षता संबंधी अपनी शक्तियां वापस ले सकेगा।

9. सम्मेलन में अध्यक्ष की शक्तियां :-

(1) सम्मेलन में अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था रखी जाएगी। यदि किसी सदस्य का व्यवहार, उसकी दृष्टि से उच्छृंखल हो तो वह ऐसे सदस्य को सम्मेलन से बाहर चले जाने हेतु निर्देश दे सकेगा। परिस्थिति न सुधरने की दशा में अध्यक्ष सम्मेलन को ऐसे समय तक के लिए स्थगित कर सकेगा जो वह उचित समझे।

(2) यदि कोई सदस्य जो अध्यक्ष द्वारा सम्मेलन से बाहर चले जाने हेतु निर्देशित किया गया हो परंतु वह सम्मेलन में अवैधानिक रूप से उपस्थित बना रहे तो अध्यक्ष को उसे सम्मेलन से बाहर किए जाने के लिए ऐसी कार्यवाही करने का अधिकारी होगा, जो वह उचित समझे।

10. कार्यवृत पुस्तक :-

मंडी समिति एक कार्यवृत पुस्तक रखेगी जिसमें प्रत्येक सम्मेलन के कार्य का विवरण हिन्दी भाषा एवं देवनागरी लिपि में अभिलिखित किया जाएगा। अभिलिखित कार्य का विवरण प्रत्येक सम्मेलन की समाप्ति के तत्काल पश्चात् अध्यक्ष तथ सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। पंजी में दर्ज कार्यवाही विवरण 05 कार्यदिवस में सदस्यों को प्रसारित की जाएगी एवं आगामी सम्मेलन में उसकी पुष्टि कराई जाएगी। भारसाधक अधिकारी नियुक्त रहने की दशा में कार्यवृत पुस्तक पर भारसाधक अधिकारी एवं सचिव हस्ताक्षर करेंगे। समिति की बैठक की वीडियोग्राफी करना अनिवार्य होगा।

11. सम्मेलन की कार्यवाही की भाषा :-

सम्मेलन की प्रत्येक कार्यवाही की भाषा हिन्दी होगी।

12. उप समितियों की रचना :-

(1) मंडी समिति किसी भी प्रकरण में जांच कर प्रतिवेदन देने के लिए या राय प्रस्तुत करने के लिए उप समिति नियुक्त कर सकेगी। उप समिति का प्रतिवेदन अथवा उसकी राय का परामर्श के रूप में समिति के निर्णय अनुसार उपयोग किया जाएगा।

(2) किसी भी उप समिति में कम से कम 3 तथा अधिक से अधिक 5 सदस्य होगे जिनमें से दो तिहाई कृषक सदस्य होंगे। किंतु मंडी समिति का कोई भी सदस्य किसी भी समय दो से अधिक उप समितियों का सदस्य नहीं रहेगा।

(3) यदि मंडी समिति का अध्यक्ष किसी उपसमिति का सदस्य हो तो वह ऐसी उपसमिति का भी अध्यक्ष होगा। इसी प्रकार अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उपसमिति का अध्यक्ष होगा। यदि अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष दोनों ही किसी उपसमिति के सदस्य न हो तो ऐसी उपसमिति के सदस्यों में से किसी एक को मंडी समिति द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा।

(4) मंडी समिति द्वारा प्रांगण में नीलामी, क्रय-विक्रय, तौल, भुगतान, नीलामी में भाव निर्धारण आदि विवादो एवं शिकायतों का निराकरण करने के लिए एक उप समिति का गठन किया जाएगा जिसमें दो कृषक सदस्य, एक व्यापारी सदस्य एवं प्रांगण प्रभारी सदस्य सचिव रहेंगे। निर्वाचित मंडी समिति अस्तित्व में नही होने पर उप समिति में प्रांगण प्रभारी एवं दो सहायक उप निरीक्षक सदस्यों के रूप में रहेंगे।

13. सचिव की उपस्थिति :-

मंडी समिति तथा उसकी किसी उपसमिति के सम्मेलन में सचिव की उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा उसे अधिकार होगा कि वह किसी भी प्रकरण पर अपनी राय दे सकें अथवा अधिनियम, नियम व उपविधियों की व्याख्या और जानकारी प्रस्तुत करें। सचिव द्वारा दी गई राय बैठक की कार्यवाही में अभिलिखित की जाएगी।

14. पारित प्रस्तावों का क्रियान्वयन :-

(1) समिति द्वारा लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन तत्काल प्रारंभ किया जाएगा तथापि मंडी समिति के प्रत्येक प्रस्ताव पर अधिनियम, नियम, उपविधि अथवा प्रबंध संचालक के निर्देश का उल्लेख किया जाएगा। समिति, यदि उसकी शक्ति से परे कोई निर्णय लेती है तब सचिव उस पर अपना अभिमत अंकित करेगा।

(2) समिति की बैठक की कार्यवाही का विवरण 7 दिन के भीतर आंचलिक कार्यालय के संयुक्त संचालक/ उप संचालक को प्रेषित किया जाएगा। ऐसे प्रस्ताव जिसमें सचिव द्वारा अपनी आपत्ति दर्ज की गई है उस ठहराव का क्रियान्वयन आंचलिक संयुक्त संचालक / उप संचालक के अनुमोदन के पश्चात् ही किया जाएगा। आंचलिक संयुक्त संचालक / उप संचालक द्वारा विधि विरुद्ध लिए गए समिति के किसी निर्णय का क्रियान्वयन संयुक्त संचालक/ उप संचालक द्वारा स्थगित किया जाएगा, किंतु इसके पूर्व सचिव को सुना जाएगा। सचिव को सुनने के बाद संयुक्त संचालक/ उप संचालक को अधिकार होगा कि वह विधि विरुद्ध पाए गए किसी भी प्रस्ताव को रद्द कर दें।

अध्याय तीन
मंडी में विक्रय कार्य योजना

15. मंडी में बिक्री कार्य योजना के लिए विशेष सम्मेलन :-

प्रत्येक माह सितम्बर के अंतिम सप्ताह में खरीफ फसल के लिए एवं फरवरी के अंतिम सप्ताह में रबी फसल के लिए, समिति का विशेष सम्मेलन आहूत किया जाएगा। सचिव द्वारा तैयार "बिक्री कार्य योजना" इन सम्मेलनों में प्रस्तुत की जाएगी।

मंडी बिक्री कार्य योजना तैयार करना :-

कितने ग्रामों के उत्पादकों द्वारा अपने उत्पादों को बेचने के लिए मंडी प्रांगण का उपयोग किया जाता है, यह पता लगाने के लिए मंडी प्रांगण के गेट पर बनने वाली गेट पर्ची (प्रवेश पंजी) का उपयोग किया जाएगा। इस पंजी में दर्ज उत्पादकों को देखकर उन ग्रामों की सूची तैयार की जाएं जिसके उत्पादक इस मंडी प्रांगण का उपयोग अपना उत्पाद बेचने के लिए कर रहे है। ये ग्राम मंडी क्षेत्र की अधिसूचित सीमाओं के अंदर एवं बाहर के हो सकते हैं।

इन ग्रामों की सूची में आने वाले नामों को तहसील के मजमूली नक्शे पर सीमांकित किया जाएं। इस तरह जो क्षेत्र सीमांकित होगा वह क्षेत्र होगा, जहाँ के उत्पादक अपने उत्पाद बेचने के लिए वास्तविक रूप से इस मंडी का उपयोग करते है। इसे मंडी समिति का कार्यात्मक क्षेत्र माना जाएगा।

आधारभूत आकड़ों का संकलन :-

मंडी का कार्यात्मक क्षेत्र का निर्धारण करने के पश्चात् वास्तव में मंडी प्रांगण का उपयोग करने वाले ग्रामों की कुछ आधारभूत जानकारी कृषि विभाग से प्राप्त की जाएगी। इसके तहत निम्न जानकारी ली जाएगी-

(क) ग्राम में विभिन्न फसलों के तहत बोया गया क्षेत्र,
(ख) ग्राम की प्रत्येक फसल का औसत उत्पादन,
(ग) ग्राम का फसलवार कुल अनुमानित उत्पादन,
(घ) प्रत्येक फसल का बाजार में बिक्री योग्य उत्पाद।

उक्त आधारभूत आंकड़ों के आधार पर यह ज्ञात हो सकेगा कि इस फसल मौसम में कौन-कौन तरह की फसलों के कितनी-कितनी मात्रा में उत्पाद बाजार में आने की संभावना है। प्रत्येक फसल के लिए पृथक-पृथक गणना की जाएगी।

क्रय एजेंसियों के साथ तैयारी बैठक का आयोजन :-

आधारभूत जानकारी तैयार करने के पश्चात् मंडी प्रांगण में उन उत्पादों को क्रय करने वाली एजेंसियों के साथ बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में क्रय एजेंसियां जैसे व्यापारी, सरकारी एवं अर्द्धशासकीय एजेंसियां, तुलैइयों, हम्मालों के प्रतिनिधि तथा मंडी समिति से संबंधित कर्मचारीगणों को बैठक में बुलाया जाएगा। इस बैठक में "मंडी बिक्री कार्य योजना" पर विचार विमर्श किया जाएगा।

मंडी बिक्री कार्य योजना में सचिव मंडी समिति द्वारा यह जानकारी दी जाएगी कि इस फसल

मौसम में इस मंडी प्रांगण में किन-किन ग्रामों की कौन-कौन सी फसलों की कितनी-कितनी मात्रा आने की संभावना है। इस मात्रा को ध्यान में रख कर यह चर्चा की जाएं कि क्रय एजेंसियां और क्रेता, इस उत्पाद को क्रय करने के लिए पर्याप्त राशि की व्यवस्था करे। पर्याप्त बारदानों की व्यवस्था हो, तुलाई की उचित व्यवस्था हो, भंडारण तथा परिवहन की पर्याप्त व्यवस्था हो। इसके लिए इन सब मदों पर चर्चा कर आवश्यकताओं का आंकलन किया जाएं तथा उनकी व्यवस्था किस तरह की जाना प्रस्तावित है इसका एक लिखित प्रस्ताव बैठक में निश्चित किया जाएगा।

बैठक में यह भी निर्धारित किया जाएगा कि प्रतिदिन अधिकतम कितना उत्पाद विक्रय हेतु रखने की क्षमता मंडी प्रांगण की है। कितना उत्पाद क्रेताओं के द्वारा क्रय किया गया माल कितने समय तक मंडी प्रांगण में रखा जाएगा तथा कब उसका परिवहन किया जाएगा। उक्त मदों पर सब तैयारियां पूर्व से की जाएगी।

इस बैठक के निर्णय के आधार पर तैयार योजना को मंडी समिति के विशेष सम्मेलन में प्रस्तुत किया जा कर चर्चा करायी जाएं, एवं समिति के उपयुक्त सुझावों को योजना में सम्मिलित करते हुए योजना कार्यान्वित की जाएगी।

अध्याय चार
विपणन का नियंत्रण
अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का नियंत्रण

16. अधिसूचित कृषि उपज का क्रय-विक्रय :-

(1) अधिनियम की धारा 4 के अधीन किसी मंडी की स्थापना होने पर;

(क) घोष विक्रय प्रांगण के चिन्हित (अनुक्रमित) ले-आउट की एक प्रति **मंडी प्रांगण / उप मंडी प्रांगण** के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित की जाएगी।

(ख) मंडी प्रांगण / उप मंडी प्रांगण में प्रवेश करने वाले कृषि उपज के वाहनों को प्रवेश पंजी में प्रविष्टि अनुसार प्रवेश पर्ची जारी की जाएगी। कृषि उपज के वाहन उक्त प्रवेश पर्ची एवं अनुक्रमांक लेकर मंडी प्रांगण / उप मंडी प्रांगण में नियत स्थल पर प्रवेश करेंगे।

ई-मंडी पोर्टल के माध्यम से विपणन कार्य के संबंध में प्रावधान -

मंडी के द्वारा विक्रेता कृषकों को पंजीकृत किया जाएगा, गैर-पंजीकृत विक्रेता कृषकों के लिए पंजीयन लगातार खुला रहेगा। संबंधित विक्रेता कृषकों को स्वयं पंजीयन कर सकने का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाएगा।

उक्त पंजीयन में विक्रेता कृषक का मोबाइल नंबर एवं बैंक खाते का विवरण अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाएगा। इस संबंध में प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश यथास्थिति प्रभावशील होंगे।

प्रदेश के कृषकों का विवरण, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश शासन से वेब सर्विस (Web Service) के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकेगा।

मंडी प्रांगण / उप मंडी प्रांगण में प्रवेश करने वाले वाहनों को ई-मंडी पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक प्रवेश पर्ची जारी की जाएगी। कृषि उपज के वाहन उक्त प्रवेश पर्ची के आधार पर मंडी प्रांगण में नियत स्थल पर प्रवेश करेंगे।

कृषि उपज के विक्रेता / कृषक, ई-मंडी पोर्टल / मंडी प्रांगण/ उप मंडी प्रांगण में प्रवेश हेतु ई-मंडी पोर्टल के माध्यम से स्वयं प्रवेश पर्ची जारी कर स्लॉट बुक करा सकेंगे। स्वयं स्लॉट बुक कराने वाले विक्रेता / कृषक, मंडी प्रांगण / उप मंडी प्रांगण में प्रवेश पर्ची क्रमांक अनुसार नियत स्थल पर प्रवेश करेंगे।

(ग) वाहन/ ढेरी को लगाने के लिए स्थानों को क्रम दिया जाएगा और उन्हें कतारबद्ध रूप में लगाया जाएगा।

(घ) मंडी में प्रवेश करने वाले वाहन की प्रवेश पर्ची पर ऐसे स्थान का अनुक्रमांक अंकित होगा जहां उसे ढेरी लगाना है या वाहन खड़ा करना है।

(ङ) वाहन निर्धारित क्रमांक पर ही खड़ा करना होगा / ढेरी लगाना होगी।

(च) नीलामी का क्रम एक नंबर से प्रारंभ होगा।

(छ) वाहनों के प्रवेश एवं नीलामी के लिए कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय मैनुअल अध्याय-छः में दिये गए निर्देशों का पालन किया जाएगा। औसत अच्छे किस्म (एफ.ए.क्यू.) की कृषि उपज के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर बोली प्रारंभ नहीं होगी। एक बोली से दूसरी बोली का अंतर एक रुपये से कम का नहीं होगा।

मंडी प्रांगण में यथासंभव ग्रेडिंग की व्यवस्था उपलब्ध करी जाएगी। जिन मंडी समिति में ग्रेडिंग सुविधा उपलब्ध है उसमें शासन द्वारा जिन कृषि उपज की औसत अच्छी किस्म (एफ.ए.क्यू.) निर्धारित है उसका मंडी में ग्रेडिंग अंतर्गत एफ.ए.क्यू. के समान मापदंड पाये जाने पर संबंधित कृषि उपज का घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर बोली प्रारंभ नहीं होगी।

(ज) साप्ताहिक अवकाश के अतिरिक्त अवकाशों के लिए मंडी समिति, माह नवंबर - दिसंबर में आयोजित सम्मिलन में आगामी कैलंडर वर्ष के लिए वार्षिक अवकाश के दिन निर्धारित करेगी एवं सार्वजनिक रूप से प्रकाशन करेगी।

परंतु मंडियों में साप्ताहिक अवकाश के अतिरिक्त यदि **परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881)** अंतर्गत घोषित बैंकिग अवकाश या अन्य घोषित सार्वजनिक अवकाश के कारण लगातार दो दिवस या इससे ज्यादा मंडी मे अवकाश की स्थिति निर्मित हो रही होगी, तो मंडी समिति के लिये यह आवश्यक होगा की वह **संयुक्त संचालक / उप संचालक आंचलिक कार्यालय** के लिखित अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही ऐसे अवकाशों को घोषित करे अन्यथा नहीं। **संयुक्त संचालक / उप संचालक आंचलिक कार्यालय**, जनहित मे मंडी के द्वारा पूर्व घोषित अवकाश को निरस्त कर सकेंगे, परंतु उनके द्वारा मंडी अवकाश निरस्तीकरण के लिए विधिवत कारण सहित आदेश जारी किया जाएगा।

(2) अधिनियम की धारा 36(3) के प्रावधानों के अनुसार **मंडी प्रांगण / उप मंडी प्रांगण में** कृषि उपज के मूल्य का निर्धारण खुले घोष विक्रय द्वारा किया जाएगा जिसका संचालन **मंडी कर्मचारी अथवा मंडी सचिव द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी के** द्वारा ही किया जाएगा।

परंतु ऐसी कृषि उपज, जिसके लिए (**शासन द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार औसत अच्छी कृषि उपज)** की राज्य सरकार द्वारा समर्थन कीमत घोषित की गई है, की कीमत उस कीमत से कम निर्धारित नहीं की जाएगी जो घोषित की गई है। मंडी प्रांगण में कोई भी बोली इस प्रकार नियत की गई कीमत से कम पर प्रारंभ नहीं होने दी जाएगी। नीलामकर्ता **मंडी कर्मचारी अथवा मंडी सचिव द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी** द्वारा कृषि उपज की नीलामी, उस कृषि उपज के लिए शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य से प्रारंभ की जाएगी। औसत अच्छे किस्म की कृषि उपज का निर्धारण कलेक्टर द्वारा मनोनीत समिति करेगी, यही समिति इस संबंध में आए विवादों का निपटारा करेगी।

(3) नीलाम की बोली स्पष्ट लगाई जाएगी जिसका की विक्रेता / कृषक को भी ज्ञान हो सके। घोष विक्रय में किसी भी प्रकार के इशारों और संकेतो का प्रयोग नही किया जाएगा।

(क) घोष विक्रय के दौरान इशारो एवं संकेतो का प्रयोग, **दुरभि संधि** (कॉर्टलाईजेशन), कर प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने का प्रयास संज्ञान में आने पर अथवा विक्रेता / कृषक द्वारा शिकायत करने पर मंडी की उपसमिति द्वारा मामले का स्थल पर तत्परता पूर्वक निराकरण **किया** जाएगा। उपसमिति की रिपोर्ट पर मंडी समिति द्वारा उक्त अनियमितता में संलग्न पाए गए मंडी कृत्यकारी को प्रथम बार चेतावनी दी जा सकेगी, दूसरी बार अनियमितता में संलग्न पाए जाने पर आर्थिक दंड अधिरोपण की कार्यवाही की जाएगी तथा निरंतर अनियमितता की पुनरावृत्ति करने पर **अधिनियम, नियम, उपविधि के प्रावधानों के अंतर्गत** क्रय-विक्रय पर रोक, अनुज्ञप्ति **/ विशेष अनुज्ञप्ति** का निलंबन अथवा अनुज्ञप्ति **/ विशेष अनुज्ञप्ति** निरस्त करने की नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही मंडी समिति द्वारा **की जाएगी / प्रस्तावित की जाएगी। आर्थिक दंड का निर्धारण मंडी समिति द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन किया जा सकेगा।**

(4) घोष विक्रय द्वारा मूल्य तय होने के पश्चात् **मंडी कर्मचारी अथवा मंडी सचिव द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी** द्वारा विक्रेता / कृषक के पक्ष में क्रमशः सफेद, हरा, गुलाबी तीन रंग की तीन प्रतियों में अनुबंध निष्पादित किया जाएगा। सफेद प्रति मूल प्रति होगी। शेष नीचे की दो प्रति में से हरे रंग की प्रति विक्रेता/ कृषक को तथा गुलाबी रंग की प्रति क्रेता को दी जाएगी। **अनुबंध पत्रक प्ररूप - एक** में **जारी** किया जाएगा। अनुबंध पत्रक पर **मंडी कर्मचारी अथवा मंडी सचिव द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी** के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे और विक्रेता / कृषक तथा क्रेता के हस्ताक्षरों के अभाव में भी उक्त अनुबंध निष्पादित समझा जाएगा व दोनो को अनुबद्ध करेगा। अनुबंध पत्र में **मंडी कर्मचारी अथवा मंडी सचिव द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी** द्वारा **समस्त** प्रविष्टियां की जाएगी।

ई-मंडी पोर्टल के माध्यम से विपणन कार्य के संबंध में प्रावधान -

घोष विक्रय उपरांत विक्रय मूल्य तय होने के पश्चात् **मंडी कर्मचारी अथवा मंडी सचिव द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी** द्वारा **ई-मंडी पोर्टल पर** विक्रेता / कृषक के पक्ष में **इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध प्ररूप - एक** में निष्पादित किया जाएगा। **इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध** जारी करते समय **मंडी कर्मचारी अथवा मंडी सचिव द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी** द्वारा **इलेक्ट्रॉनिक** प्रवेश पर्ची का क्रमांक फीड करने पर विक्रेता / कृषक का संपूर्ण विवरण उपलब्ध हो जाएगा, **मंडी कर्मचारी अथवा मंडी सचिव द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी** द्वारा घोष विक्रय में तय मूल्य तथा क्रेता व्यापारी का विवरण मात्र अंकित किया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध का प्रिंटआउट विक्रेता / कृषक को तथा क्रेता व्यापारी को प्रदान किया जाएगा।

परंतु राज्य के कृषि उपज उत्पादक-कृषकों को अपने घर, खेत से ही अर्थात अधिनियम के अधीन गठित मंडी समिति के अधिसूचित मंडी प्रांगण एवं उप मंडी प्रांगण के बाहर, अधिसूचित कृषि उपज के विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बोर्ड द्वारा विकसित एवं प्रबंधित तथा मंडी समिति के माध्यम से संचालित मोबाइल एप्लीकेशन एमपी फार्मगेट एप पर विक्रेता / कृषक एवं क्रेता व्यापारी के मध्य विक्रय मूल्य पर परस्पर सहमति बनती है तब आपसी सहमति के आधार पर ऐसे सौदे के संबंध में क्रेता व्यापारी द्वारा **कंडिका 17-क अनुसार ऑनलाइन सौदा पत्रक** जारी किया जाएगा।

मंडी प्रांगण में के सिवाय, मंडी प्रांगण के बाहर अधिसूचित कृषि उपजों का क्रय-विक्रय उपविधि कंडिका (31) के अधीन स्थापित क्रय केंद्रों **एवं नियम 2009 के अधीन स्थापित क्रय केंद्रों** पर भी एमपी फार्मगेट एप के माध्यम से संपन्न होगा।

(5) अनुबंध निष्पादित किए जाने के पूर्व विक्रेता / कृषक को यह विकल्प प्राप्त होगा कि वह घोष विक्रय द्वारा निर्धारित मूल्य पर अपनी कृषि उपज का विक्रय करने से मना कर दे तथा इस प्रकार ऐसे विक्रय को निरस्त कर दे अथवा सर्वोच्च बोली से नीचे की पहली बोली लगाने वाले क्रेता को अपनी कृषि उपज बेचने के लिए सहमति प्रदान करें।

परंतु अनुबंध निष्पादन के पश्चात् भी विक्रेता / कृषक, सचिव को कारणों का उल्लेख करते हुए अनुबंध **निरस्त** करने का आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा और सचिव **या उसके द्वारा अधिकृत मंडी कर्मचारी** संक्षिप्त जांच के बाद आवेदन पर अपना निर्णय अंकित करेगा। आवेदन के निराकरण की वही प्रक्रिया होगी जैसी कि **उपविधि 17(8) में** उल्लेखित है।

(6) उपविधि 16(5) के अंतर्गत विक्रय निरस्तीकरण उपरांत ऐसी कृषि उपज का घोष विक्रय, उस दिन के नियमित घोष विक्रय की समाप्ति के पश्चात् पुनः किया जाएगा। इसके उपरांत भी विक्रय को निरस्त करने के संबंध में उपविधि 16(5) एवं उपविधि 17(8) के प्रावधान लागू होंगे।

(7) **विलोपित**
(उपविधि 16(7) के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण लंबित है, इस उपविधि के प्रावधान के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेशों के पालन में कार्यवाही की जाएगी।)

16-क समर्थन मूल्य पर अधिसूचित कृषि उपज का उर्पाजन :-

(1) राज्य सरकार द्वारा उर्पाजन हेतु प्राधिकृत विभाग, निगम अथवा संस्था (तत्पश्चात् जिसे शासकीय नियोक्ता संस्था कहा जाएगा) द्वारा समर्थन मूल्य पर अधिसूचित कृषि उपज के उर्पाजन के लिए एजेंट/ अभिकर्ता नियुक्त किए जा सकेंगे ऐसा एजेंट/ अभिकर्ता मंडी समिति का अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी होगा।

(2) उपकंडिका (1) में प्राधिकृत एजेंट/ अभिकर्ता द्वारा अधिसूचित कृषि उपज का उर्पाजन ऐसे निर्देशों के अधीन किया जा सकेगा जैसा कि उनके नियुक्ति आदेश में शासकीय नियोक्ता संस्था के द्वारा उल्लेखित हो, परंतु यह निर्देश उक्त अधिनियम, तदाधीन प्रभावशील नियम एवं उपविधि में प्रावधान के अध्यधीन ही होगें।

(3) ऐसा एजेंट/ अभिकर्ता अधिसूचित कृषि उपज का उर्पाजन कृषक से समर्थन मूल्य पर मंडी क्षेत्र के भीतर कर सकेगा।

(4) ऐसे एजेंट/ अभिकर्ता राज्य सरकार द्वारा उसके प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्धारित दर से कमीशन प्राप्त करने की पात्रता रखेगें, परंतु निर्धारित कमीशन की राशि का भुगतान नियुक्त एजेंट/ अभिकर्ता/ शासकीय नियोक्ता संस्था द्वारा कृषक को भुगतान की जाने वाली कीमत से नहीं काटा जाएगा।

(5) उक्त अधिनियम, तदाधीन प्रभावशील नियम एवं उपविधि के प्रावधान एजेंट/ अभिकर्ता/ व्यापारी पर यथास्थिति प्रभावशील रहेंगे।

17. अनुबंध पत्रक/सौदा पत्रक के निष्पादन के पश्चात् की प्रक्रिया :-

(1) घोष विक्रय में क्रय की गई समस्त कृषि उपज की तौल या माप अनुज्ञप्तिधारी तुलैया द्वारा मंडी प्रांगण या उपमंडी प्रांगण में की जाएगी। **मंडी समिति द्वारा स्थापित तौलकांटे से एवं बीओटी तौलकांटे से जारी इलेक्ट्रानिक तौल पर्ची मान्य होगी।**

(2) विलोपित
(नवीन उपविधि कंडिका 17-क में प्रावधान अंतःस्थापित)

(3) तौल के पश्चात वास्तविक वजन की **"तौलपर्ची"**, **अनुज्ञप्तिधारी** तुलैया द्वारा प्ररूप - तीन में क्रमशः सफेद, हरा, गुलाबी तीन रंग की तीन प्रतियों में जारी की जाएगी। सफेद प्रति मूल प्रति होगी। शेष नीचे की दो प्रति में से हरे रंग की प्रति विक्रेता / कृषक को तथा गुलाबी प्रति क्रेता को दी जाएगी। तौल पुस्तिका अनुज्ञप्तिधारी तुलैया को मंडी समिति द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। **मंडी समिति द्वारा स्थापित तौलकांटे से एवं बीओटी तौलकांटे से जारी इलेक्ट्रानिक तौल पर्ची मान्य होगी।**

(क) तौल पर्ची (पुस्तिका) तुलैयों को दिए जाने के पूर्व इसका पूर्ण अभिलेख (तौल पर्ची पुस्तिका की प्राप्ति, प्रदाय, शेष स्कंध एवं उपयोग की गई तौल पुस्तिका की वापसी आदि) मंडी समिति द्वारा संधारित किया जाएगा एवं तौल पर्ची (पुस्तिका) के उपयोग के संबंध में मासिक समीक्षा भी की जाएगी।

(ख) तौल पर्ची में क्रेता व्यापारी का नाम तथा जिस दर से कृषि उपज नीलाम में क्रय की गई है, भी अंकित की जाएगी।

ई-मंडी पोर्टल के माध्यम से विपणन कार्य के संबंध में प्रावधान -

इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध जारी होने के उपरांत **उपविधि कंडिका 16 अनुसार** तौल की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी जिसके पश्चात अनुज्ञप्तिधारी तुलैया अथवा मंडी समिति द्वारा स्थापित तौलकांटे/ **बी.ओ.टी. तौलकांटे के संचालक** द्वारा प्ररूप - तीन में तौल पर्ची जारी की जाकर, **ई-मंडी पोर्टल** पर वास्तविक वजन की प्रविष्टि की जाएगी।

वास्तविक वजन की प्रविष्टि करते समय **इलेक्ट्रॉनिक** प्रवेश पर्ची का क्रमांक अथवा **इलेक्ट्रॉनिक** अनुबंध पत्र का क्रमांक फीड करने पर संव्यवहार का पूर्ण विवरण प्रदर्शित हो जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी तुलैया अथवा मंडी समिति द्वारा स्थापित तौलकांटों / **बी.ओ.टी. तौलकांटों के संचालक** द्वारा वास्तविक वजन की प्रविष्टि मात्र की जाएगी।

ई-मंडी में जहां पर अनुज्ञप्तिधारी तुलैया द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया का पालन संभव नहीं हो, वहां पर अनुज्ञप्तिधारी तुलैया द्वारा पूर्ववत मैन्युअल तौल पर्ची तीन प्रतियों में जारी की जाएगी जिसके आधार पर मंडी कर्मचारी अथवा मंडी सचिव द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा वास्तविक वजन की प्रविष्टि ई-मंडी पोर्टल पर की जाएगी।

(4) अनुबंध पत्रक एवं तौल पर्ची के आधार पर क्रेता द्वारा विक्रेता / कृषक के पक्ष में क्रमशः सफेद, हरा, गुलाबी रंग की तीन प्रतियों में **भुगतान पत्रक** निष्पादित किया जाएगा। प्ररूप

- चार सफेद प्रति मूल प्रति होगी, शेष नीचे की दो प्रति में से हरे रंग की प्रति विक्रेता / कृषक को तथा गुलाबी रंग की प्रति मंडी समिति को यथासंभव उसी दिन अथवा यथाशीघ्र आगामी कार्य दिवस मे प्रस्तुत की जाएगी। विक्रेता / कृषक को भुगतान प्राप्ति की पुष्टि होने के उपरांत ही संबंधित क्रेता व्यापारी से कृषि उपज पर मंडी फीस प्राप्त कर, अनुज्ञा पत्र जारी, निकासी की अनुमति दी जा सकेगी।

(क) यदि क्रेता व्यापारी कंप्यूटर आधारित (डिजिटल) भुगतान पत्रक जारी करता है तो मंडी समिति द्वारा भुगतान पत्रक क्रमांक हेतु यूनिक नंबर प्रदान किया जाएगा। क्रेता व्यापारी तीन प्रतियों में भुगतान पत्रक जारी कर सकेंगे। प्रथम प्रति मंडी को, द्वितीय प्रति विक्रेता को तथा तृतीय प्रति क्रेता को दिया जाएगा।

ई-मंडी पोर्टल के माध्यम से विपणन कार्य के संबंध में प्रावधान -

इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध पत्रक में तय मूल्य एवं वास्तविक वजन के आधार पर क्रेता व्यापारी द्वारा ई-मंडी पोर्टल पर विक्रेता / कृषक के पक्ष में प्ररूप - चार में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पत्रक निष्पादित किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पत्रक जारी करते समय क्रेता व्यापारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रवेश पर्ची / इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध पत्र का क्रमांक फीड करने पर संव्यवहार का पूर्ण विवरण क्रेता व्यापारी को प्रदर्शित हो जाएगा। क्रेता व्यापारी को केवल हम्माली-तौल के प्रभारों की प्रविष्टि करनी होगी। हम्माली-तौल के प्रभार, स्वतः अद्यतन होना भी सुनिश्चित कराया जा सकेगा।

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पत्रक का प्रिंटआउट विक्रेता / कृषक को प्रदान किया जाएगा। विक्रेता/ कृषक को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पत्रक का संक्षिप्त विवरण तथा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पत्रक की विस्तृत पीडीएफ प्रति डाउनलोड करने हेतु लिंक भी SMS या अन्य तत्काल संदेश सेवा के माध्यम से प्राप्त होगा।

इसके उपरांत संबंधित कृषक का भुगतान किया जाकर तथा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पत्रक पर कृषक के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसकी सूचना मंडी समिति को यथासंभव उसी दिन अथवा यथाशीघ्र आगामी कार्य दिवस मे **ई-अनुज्ञा पोर्टल / ई-मंडी पोर्टल पर** प्रस्तुत की जाएगी।

विक्रेता / कृषक को भुगतान प्राप्ति की पुष्टि होने के उपरांत तथा संबंधित क्रेता व्यापारी से कृषि उपज पर मंडी फीस प्राप्त कर, अनुज्ञा पत्र जारी करने, निकासी की अनुमति दी जा सकेगी।

संबंधित विक्रेता / कृषक को भुगतान होना सुनिश्चित करने हेतु OTP भी प्रेषित किया जिसका सत्यापन भुगतान हो जाने का प्रमाण होगा।

(5) (क) क्रेता द्वारा विक्रेता/ कृषक को उसी दिन पूर्ण भुगतान नगद भुगतान तथा आरटीजीसी/ एनईएफटी/ ऑनलाईन बैंक ट्रांसफर आदि डिजिटल बैंकिंग माध्यमों के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित जाएगा। जिसके विवरण का स्पष्ट उल्लेख भुगतान पत्रक प्ररूप-चार के **कॉलम क्रमांक-14 व क्रमांक-15** मे स्पष्ट अंकित किया जाएगा।

विक्रेता / कृषक को भुगतान के आधार पर क्रेता द्वारा विक्रेता को उसी दिन भुगतान नहीं

करने की दशा मे अधिनियम की धारा 37(2) के अनुसार आगामी प्रत्येक दिन का एक प्रतिशत की दर से पांच दिन तक मूल्य का 5 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान देय होगा। क्रय के दिन से 5 दिन के भीतर भुगतान नहीं किए जाने पर छठवे दिन, संबंधित क्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द समझी जाएगी तथा उसे या उसके नातेदार (अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के स्पष्टीकरण मे विनिर्दिष्ट अभिप्रेत अनुसार) को ऐसे रद्दकरण की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति मंजूर नहीं की जाएगी। जिसका स्पष्ट उल्लेख **भुगतान पत्रक प्ररूप - चार** के नोट मे अंकित जाएगा।

(ख) क्रेता व्यापारी द्वारा विक्रेता / कृषक को निर्धारित समय-सीमा में नगद भुगतान एवं डिजिटल माध्यमों (RTGS/NEFT आदि) से भुगतान का विवरण ई-अनुज्ञा पोर्टल / ई-मंडी पोर्टल पर यथासंभव उसी दिन अथवा यथाशीघ्र आगामी कार्य दिवस **में प्रविष्ट किया जाएगा।**

(ग) इसमें विलंब होने पर संबंधित क्रेता व्यापारी को आगामी व्यापार हेतु अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, संबंधित क्रेता व्यापारी की ई-अनुज्ञा आईडी, कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए डिएक्टिव की जाएगी।

(घ) सचिव या उसके द्वारा अधिकृत मंडी कर्मचारी द्वारा ई-अनुज्ञा पोर्टल / ई-मंडी पोर्टल पर भुगतान पत्रकों का सत्यापन, विक्रेता/ कृषक को नगद भुगतान एवं डिजिटल माध्यमों (RTGS/NEFT आदि) से भुगतान हो जाना सुनिश्चित कर लेने के उपरांत ही, किया जाएगा। तदुपरांत मंडी शोध्यों का भुगतान सुनिश्चित कर लेने के उपरांत ही कृषि उपज निकासी/ ई-अनुज्ञा की अनुमति दी जाएगी।

(ङ) भुगतान पत्रक का सत्यापन करते समय, विक्रेता / कृषक को डिजिटल माध्यमों (RTGS/NEFT आदि) से भुगतान की स्थिति में विक्रेता/ कृषक के बैंक खाते का विवरण एवं संव्यवहार के UTR नंबर की पूर्ण प्रविष्टि एवं मिलान करने के उपरांत ही भुगतान पत्रक का सत्यापन किया जाएगा।

(च) विक्रेता / कृषक कृषि उपज का मूल्य प्राप्त न होने पर, मंडी समिति को 05 कार्यदिवस के अंदर शिकायत कर सकेगा। सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी ऐसी शिकायत की जांच कर, अधिनियम की धारा 17 एवं धारा 37 के प्रावधानों के अनुसार, क्रेता व्यापारी से लंबित भुगतान की कार्यवाही तत्काल पूर्ण करेगा।

(छ) पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की स्थिति में प्रभावी प्रावधान -

क्रेता व्यापारी द्वारा अपने ई-अनुज्ञा पोर्टल / ई-मंडी पोर्टल लॉगिन पर पेमेंट गेटवे के माध्यम से विक्रेता / कृषक को ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। पेमेंट गेटवे द्वारा कृषक भुगतान को Success प्रतिवेदित किए जाने पर भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। कृषक के बैंक खाते में भुगतान, बैंकिंग व्यवस्था के नियमों के अनुरूप शीघ्रतम सेटलमेंट के आधार पर अंतरित होगा।

पेमेंट गेटवे द्वारा कृषक भुगतान की पुष्टि करने के उपरांत संबंधित क्रेता व्यापारी कृषि उपज पर देय मंडी फीस/ निराश्रित सहायता राशि का उक्त प्रक्रिया अनुसार ही ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे तथा पेमेंट गेटवे द्वारा मंडी फीस / निराश्रित सहायता राशि के भुगतान की पुष्टि करने के उपरांत ऑनलाइन अनुज्ञा पत्र जारी कर कृषि उपज की निकासी कर सकेंगे।

पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की स्थिति में भुगतान पत्रक के सत्यापन की कोई आवश्यकता शेष नहीं होगी।

(6) अनुबंध के निष्पादन के बाद बेची गई कृषि उपज के मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(7) अनुबंध पत्रक में उल्लेखित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति कृषि उपज क्रय नहीं करेगा। इस पर जानबूझकर ऐसा करने वाले क्रेता **व्यापारी** की अनुज्ञप्ति/ विशेष अनुज्ञप्ति निलंबित / **निरस्त** किए जाने के दायित्वाधीन होगी।

(8) अनुबंध के निष्पादन के बाद क्रेता **व्यापारी** द्वारा क्रय की गई कृषि उपज की तौल या माप कराने से क्रेता **व्यापारी**, विक्रेता / कृषक को सीधे इंकार नही कर सकेगा। यदि उसे कोई आपत्ति है तो लिखित रूप में मंडी समिति में आवेदन प्रस्तुत करेगा। सचिव **या उसके द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी** ऐसे आवेदन की संक्षिप्त जांच के बाद अपना विनिश्चय उसी दिन अंकित करेगा तथा क्रेता **व्यापारी** एवं विक्रेता / कृषक दोनों को नोट कराएगा। कोई भी पक्ष जो सचिव **या उसके द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी** के विनिश्चय से असंतुष्ट होगा मंडी समिति के अध्यक्ष / **भारसाधक अधिकारी** को अपील करेगा। अध्यक्ष / **भारसाधक अधिकारी** दोनों पक्षों की साक्ष्य लेने के पश्चात अपने विवेक से उपयुक्त जांच के बाद अपना निर्णय पारित करेगा।

दोनों पक्षों में से यदि कोई भी असंतुष्ट होगा तब लिखित आपत्ति प्रस्तुत करेगा एवं पूरा प्रकरण मंडी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। मंडी समिति का निर्णय अंतिम होगा। **निर्वाचित समिति के अस्तित्व में नहीं होने पर भारसाधक अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।**

17-क. एमपी फार्मगेट एप के माध्यम से व्यापार प्रक्रिया के लिए लागू अतिरिक्त प्रावधान-

(1) **एमपी फार्मगेट एप पर मंडी के द्वारा विक्रेता कृषकों को पंजीकृत किया जाएगा, गैर-पंजीकृत विक्रेता कृषकों के लिए पंजीयन लगातार खुला रहेगा। संबंधित विक्रेता कृषकों को स्वयं पंजीयन कर सकने का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाएगा।**

उक्त पंजीयन में विक्रेता कृषक का मोबाइल नंबर एवं बैंक खाते का विवरण अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाएगा। इस संबंध में प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश यथास्थिति प्रभावशील होंगे।

एमपी फार्मगेट एप पर किए गए पंजीयन तथा ई-मंडी एप पर किए गए पंजीयन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध रहेंगे।

(2) मंडी प्रांगण / उप मंडी प्रांगण के बाहर मंडी क्षेत्र के किसी स्थान पर, **एमपी फार्मगेट एप** पर पंजीकृत विक्रेता कृषक, स्वयं के लॉगिन कर, विक्रय हेतु उपलब्ध स्वयं की अधिसूचित कृषि उपज का विवरण (समय-समय पर यथानिर्देशित जानकारी) की प्रविष्टि कर सकेंगे।

(3) उक्त विवरण मोबाईल एप पर क्रेता व्यापारियों के **एमपी फार्मगेट एप** लॉगिन पर उपलब्ध होगा।

(4) क्रेता व्यापारी और पंजीकृत विक्रेता कृषक, मोबाइल एप पर उपलब्ध संपर्क सूत्र की सहायता से आपस में संपर्क कर सकेंगे और विक्रय संव्यवहार निष्पादन की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकेंगे।

(5) उक्त प्रक्रिया में भाव, क्रेता व्यापारी और पंजीकृत विक्रेता कृषक की आपसी सहमति से तय होगा। **एमपी फार्मगेट एप** पर मंडी भावों की अद्यतन जानकारी सदैव उपलब्ध रहेगी, इस प्रकार विक्रेता कृषक अपनी उपज विक्रय के संबंध में सोचसमझकर निर्णय कर सकेंगे।

(6) उक्तानुसार विक्रय संव्यव्हार में ऑनलाइन सौदा पत्रक निष्पादित होने पर, पंजीकृत विक्रेता कृषक को SMS के माध्यम से एक OTP भेजा जाएगा जिसमें आपसी सहमति से तय भाव का उल्लेख रहेगा। विक्रय की पुष्टि के लिए पंजीकृत विक्रेता कृषक द्वारा स्वयं के लॉगिन पर अथवा क्रेता व्यापारी के लॉगिन के माध्यम से, मोबाईल एप पर OTP की प्रविष्टि करना अनिवार्य होगा। उक्त कार्यवाही के उपरांत ही विक्रय संव्यवहार निष्पादन प्रक्रिया पूर्ण होगी।

(7) परस्पर सहमति के आधार पर ऐसे सौदे के संबंध में पंजीकृत विक्रेता कृषक एवं क्रेता व्यापारी द्वारा एमपी फार्मगेट एप पर ऑनलाइन सौदा निष्पादित कर, **ऑनलाइन सौदा पत्रक प्ररूप - दो** में जारी होगा। ऑनलाइन सौदा पत्रक की प्रति पंजीकृत विक्रेता कृषक एवं क्रेता व्यापारी के एप लॉग इन पर उपलब्ध होगी।

(8) ऑनलाइन सौदा पत्रक के निष्पादन के बाद बेची गई कृषि उपज के मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(9) ऑनलाइन सौदा पत्रक में उल्लेखित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति कृषि उपज क्रय नहीं करेगा। इस पर जानबूझकर ऐसा करने वाले क्रेता **व्यापारी** की अनुज्ञप्ति/ विशेष अनुज्ञप्ति निलंबित / **निरस्त** किए जाने के दायित्वाधीन होगी।

(10) **एमपी फार्मगेट एप पर** ऑनलाइन सौदा पत्रक के आधार पर क्रय की गई कृषि उपज की **तौल ऑनलाइन सौदा निष्पादन स्थान अर्थात विक्रेता / कृषक के खेत पर या घर पर या निकटस्थ तौल व्यवस्था वाले स्थान पर अथवा विक्रेता / कृषक एवं क्रेता व्यापारी की आपसी सहमती से नियत स्थान पर, यथानिर्देशित प्रक्रिया अनुसार** क्रेता व्यापारी के द्वारा स्वयं के व्यय पर कराई **जाएगी।** तौलकांटे से जारी इलेक्ट्रानिक तौल पर्ची मान्य होगी।

पंजीकृत विक्रेता कृषक से किसी भी प्रकार की हम्माली और तौल का व्यय देय नहीं होगा।

यह भी कि तौल के लिए **कृषक के खेत या घर से निकटस्थ तौल व्यवस्था वाले स्थान तक कृषि उपज के परिवहन पर कोई भी व्यय विक्रेता / कृषक द्वारा देय नहीं होगा और न ही विक्रेता / कृषक को संदेय विक्रय मूल्य में से काटा जाएगा।**

(11) तौल हो जाने पर, वास्तविक वजन की प्रविष्टि, **एमपी फार्मगेट एप पर** क्रेता व्यापारी के द्वारा की जाएगी।

(12) उक्तानुसार वास्तविक वजन की प्रविष्टि के उपरांत पंजीकृत विक्रेता कृषक को देय विक्रय मूल्य निर्धारित होगा, जिसमें से किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी।

(13) ऑनलाइन सौदा पत्रक के आधार पर क्रेता व्यापारी द्वारा विक्रेता / कृषक के पक्ष में **इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पत्रक** निष्पादित किया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पत्रक का प्रिंटआउट विक्रेता/ कृषक को प्रदान किया जाएगा। विक्रेता/ कृषक को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पत्रक का संक्षिप्त विवरण तथा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पत्रक की विस्तृत पीडीएफ प्रति डाउनलोड करने हेतु लिंक भी SMS या अन्य तत्काल संदेश सेवा के माध्यम से प्राप्त होगा।

इसके उपरांत संबंधित कृषक का भुगतान किया जाकर तथा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पत्रक पर कृषक के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसकी सूचना मंडी समिति को यथासंभव उसी दिन अथवा यथाशीघ्र आगामी कार्य दिवस मे ई-अनुज्ञा पोर्टल / ई-मंडी पोर्टल पर प्रस्तुत की जाएगी।

(14) विक्रेता/ कृषक को भुगतान प्राप्ति की पुष्टि होने के उपरांत तथा संबंधित क्रेता व्यापारी से कृषि उपज पर मंडी फीस प्राप्त कर, अनुज्ञा पत्र जारी, निकासी की अनुमति दी जा सकेगी। भुगतान पत्रक का सत्यापन के संबंध में उपविधि कंडिका 17(5) के प्रावधान लागू होंगे।

(15) **पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की स्थिति में प्रभावी प्रावधान-**

एमपी फार्मगेट एप पर ऑनलाइन सौदा पत्रक के आधार पर क्रय की गई कृषि उपज का **पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किये जाने के संबंध में उपविधि कंडिका 17(5)(छ) के प्रावधान लागू होंगे।**

17-ख. ई-नाम पोर्टल के माध्यम से व्यापार प्रक्रिया के लिए लागू अतिरिक्त प्रावधान-

ई-नाम मंडी प्रांगणों में अधिसूचित कृषि उपज का विपणन भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश अनुसार संपन्न होगा।

18. कृत्यकारियों को अनुज्ञप्ति स्वीकृत करना :-

(1) आवेदन फीस एवं अनुज्ञप्ति फीस -

अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन के साथ निम्नानुसार आवेदन फीस एवं अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान करना अनिवार्य होगा -

अनुज्ञप्ति का प्रकार	आवेदन प्ररूप	आवेदन फीस	अनुज्ञप्ति फीस (तीस वर्ष हेतु)
(अ) व्यापारी / पक्का आढ़तिया हेतु अनुज्ञप्ति	पांच-अ	रु 100	रु 5000
(अ-1) **केंद्र शासन/ राज्य सरकार के अधीन** शासकीय **संस्था**, अर्द्धशासकीय **संस्था,** सरकारी स्वामित्व की **संस्था/** सरकार द्वारा प्रवर्तित सहकारी संस्था हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति	पांच-अ	रु 100	रु 5000
(अ-2) केवल भंडारण हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति	पांच-अ (1)	रु 100	रु 2500
(अ-3) किसान उत्पादक कंपनी (FPC)/ **किसान उत्पादक संगठन (FPO)** हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति	पांच-अ (2)	निरंक	रु 1000
(अ-4) केवल वाणिज्यिक (द्वितीयक) संव्यवहार हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति	पांच-अ (3)	रु 100	**रु 5000**
(ब) प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता हेतु अनुज्ञप्ति	पांच-ब	रु 100	रु 5000
(ब-1) **केंद्र शासन/ राज्य सरकार के अंतर्गत** शासकीय **संस्था**, अर्द्धशासकीय **संस्था,** सरकारी स्वामित्व की **संस्था/** सरकार द्वारा प्रवर्तित सहकारी संस्था हेतु प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता अनुज्ञप्ति	पांच-ब	रु 100	रु 5000
(स- 1) तुलैया अथवा तुलावटी अनुज्ञप्ति	पांच-स	निरंक	रु 500
(स-2) हम्माल अनुज्ञप्ति	पांच-स	निरंक	रु 200
(स-3) सर्वेक्षक/ दलाल/ परिवहनकर्ता/ **ग्रेडर/ असेयर** हेतु अनुज्ञप्ति	पांच-स	रु 100	रु 5000

(2)(क) - नवीन अनुज्ञप्ति एवं अनुज्ञप्ति नवीनीकरण हेतु आवेदन -

अधिनियम की धारा 02 में परिभाषित मंडी कृत्यकारी, अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत मंडी समिति से अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त करने के लिए यथास्थिति नियत प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

आवेदन ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकेंगे, जैसा कि प्रबंध संचालक समय-समय पर निर्देशों में विहित करें.

आवेदक, एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से या स्वयं के कंप्यूटर द्वारा, एमपी ऑनलाइन पोर्टल (या इस संबंध में विकसित किए गए अन्य पोर्टल, जिसके बारे में प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जाए) पर लॉगिन कर अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

परंतु अधिनियम में दी गई व्यापारी की परिभाषा के अनुसार ऐसे प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता को, जो कृषि उपज को क्रय करके प्रसंस्करण या विनिर्माण उपरांत विक्रय करता है, तो प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता के साथ-साथ व्यापारी के रूप में भी अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करना होगा।

परंतु अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के मामले में ऑनलाइन अनुज्ञप्ति की वैधता समाप्ति दिनांक के एक माह पूर्व से लेकर वैधता समाप्ति दिनांक के तीन माह पश्चात् तक की समयावधि में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। तीन माह पश्चात् तक की यह समयसीमा अधिकतम होगी। इस दौरान नवीनीकरण हेतु आवेदन किए जाने पर अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण, अनुज्ञप्ति वैधता समाप्ति दिनांक से मान्य किया जाएगा।

अनुज्ञप्ति अवधि समाप्ति के प्रकरणों में आवेदक को समयपूर्व ही अनुज्ञप्ति अवधि समाप्ति दिनांक की सूचना प्रेषित की जाएगी जिससे आवेदक समय से नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुत कर सकें. अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि ई-अनुज्ञा पोर्टल पर संबंधित व्यापारी लॉगिन पर भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाएगी।

(2)(ख) - अनुज्ञप्ति हेतु पात्रता एवं आवश्यक अभिलेख -
पात्रता -

(अ) व्यापारी / पक्का आढ़तिया हेतु अनुज्ञप्ति	कोई भी व्यक्तिगत (व्यस्क) / संस्था / प्रोपराइटरशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/ कंपनी/ हिंदू अविभक्त परिवार/ सोसाइटी/ कोऑपरेटिव सोसाइटी.
(अ-1) **केंद्र शासन/ राज्य सरकार के अधीन** शासकीय **संस्था**, अर्द्धशासकीय **संस्था,** सरकारी स्वामित्व की **संस्था/** सरकार द्वारा प्रवर्तित सहकारी संस्था हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति	केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन शासकीय **संस्था**, अर्द्धशासकीय **संस्था,** सरकारी स्वामित्व की **संस्था/** / सरकार द्वारा प्रवर्तित सहकारी संस्था.
(अ-2) केवल भंडारण हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति	कोई भी व्यक्तिगत (व्यस्क) / संस्था / प्रोपराइटरशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/ कंपनी/ हिंदू अविभक्त परिवार / सोसाइटी / कोऑपरेटिव सोसाइटी**,** जो पूर्व से प्रदेश की किसी मंडी समिति का अनुज्ञप्तिधारी हो.
(अ-3) किसान उत्पादक कंपनी (FPC)/ **किसान उत्पादक संगठन (FPO)** हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति	कंपनी अधिनियम 1956 के भाग IXA के अधीन स्थापित किसान उत्पादक कंपनी **अथवा सहकारिता विधि अंतर्गत पंजीकृत किसान उत्पादक संगठन**

(अ-4) केवल वाणिज्यिक (द्वितीयक) संव्यवहार हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति	कोई भी व्यक्तिगत (व्यस्क) / संस्था / प्रोपराइटरशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/ कंपनी/ हिंदू अविभक्त परिवार/ सोसाइटी / कोऑपरेटिव सोसाइटी.
(ब) प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता हेतु अनुज्ञप्ति	कोई भी व्यक्तिगत (व्यस्क) / संस्था / प्रोपराइटरशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/ कंपनी/ हिंदू अविभक्त परिवार/ सोसाइटी / कोऑपरेटिव सोसाइटी.
(ब-1) **केंद्र शासन/ राज्य सरकार के अंतर्गत** शासकीय **संस्था**, अर्द्धशासकीय **संस्था,** सरकारी स्वामित्व की **संस्था/** सरकार द्वारा प्रवर्तित सहकारी संस्था हेतु प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता अनुज्ञप्ति	केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन शासकीय **संस्था**, अर्द्धशासकीय **संस्था,** सरकारी स्वामित्व की **संस्था/** / सरकार द्वारा प्रवर्तित सहकारी संस्था.
(स- 1) तुलैया अथवा तुलावटी अनुज्ञप्ति	1. म प्र का निवासी. 2. आयु 62 वर्ष से अधिक नहीं. 3. कम से कम (प्राइमरी स्कूल) पांचवी कक्षा तक शिक्षित होना अनिवार्य. (यह अनिवार्यता पूर्व से कार्यरत तुलैया अथवा तुलावटी पर लागू नहीं)
(स-2) हम्माल अनुज्ञप्ति	1. म प्र का निवासी. 2. आयु 62 वर्ष से अधिक नहीं.
(स-3)सर्वेक्षक/ दलाल/ परिवहनकर्ता/ **ग्रेडर/ असेयर** हेतु अनुज्ञप्ति	कोई भी व्यक्तिगत (व्यस्क) / संस्था / प्रोपराइटरशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/ कंपनी/ हिंदू अविभक्त परिवार/ सोसाइटी / कोऑपरेटिव सोसाइटी.

आवश्यक अभिलेख

सभी तरह की व्यापारी, प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता अनुज्ञप्ति तथा सर्वेक्षक/ दलाल/ परिवहनकर्ता/ **ग्रेडर/ असेयर** अनुज्ञप्ति (उपरोक्त क्रमांक अ, अ-1, अ-2, अ-4, ब, ब-1, स3) हेतु ऑनलाइन आवेदन करते समय निर्धारित आवेदन फीस, अनुज्ञप्ति फीस एवं प्रतिभूति (जहाँ भी लागू हो) के साथ निम्नानुसार अभिलेख (अनुप्रमाणित छायाप्रतियां) **ऑनलाइन अनुज्ञप्ति पोर्टल पर अपलोड** करना होगा: **(ऐसे दस्तावेज जोकि मूल प्रति में मंडी कार्यालय में जमा किए जाने है उनका विशेष उल्लेख आगे कर दिया गया है, आवेदक को इनके अतिरिक्त और कोई दस्तावेज मंडी कार्यालय में पृथक से जमा नहीं करना होगा.)**

i. व्यक्तिगत अथवा प्रोपराईटरशिप फर्म होने पर :

- आवेदक अर्थात प्रोपराईटरशिप फर्म के स्वामी का पहचान का प्रमाण व पते का प्रमाण (अनुसूचित बैंकों में स्वीकार्य KYC मानकों के अनुरूप).
- आवेदक का आधार क्रमांक. **(वैकल्पिक)**
- आवेदक का आयकर PAN.
- प्रोपराईटरशिप फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र.
- प्रोपराईटरशिप फर्म का आयकर PAN.
- प्रोपराईटरशिप फर्म का भारत सरकार के केंद्रीय माल एवं सेवा कर अंतर्गत पंजीयन क्रमांक (GSTIN).

- प्रोपराईटरशिप फर्म का मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत VAT का पंजीयन क्रमांक (TIN).
- आवेदक तथा प्रोपराईटरशिप फर्म के बैंक खातों का विवरण (सभी बैंक खातों का विवरण दिया जाना अनिवार्य).
- उपलब्ध पूंजी एवं अचल संपत्ति का विवरण, प्रसंस्करण, विनिर्माण संयंत्र का विवरण, पूंजी नियोजन. **(विवरण मात्र दिया जाना है.)**
- कृषि उपज भंडारण हेतु उपलब्ध गोदाम अथवा किराये के गोदाम का विवरण, मालिकाना किरायानामा अनुबंध. गोदाम का नक्शा.
- **व्यापार के मुख्य स्थल, मंडी क्षेत्र अंतर्गत व्यापार के मुख्य स्थल, स्थानीय कार्यालय, अन्य स्थल का विवरण तथा Geo Location. (विवरण मात्र दिया जाना है.)**
- मंडी कार्य संपादित करने वाले अधिकतम 2 अधिकृत प्रतिनिधियों के पहचान का प्रमाण व पते का प्रमाण (अनुसूचित बैंकों में स्वीकार्य KYC मानकों के अनुरूप)॰
- पूर्व से प्रदेश की किसी मंडी समिति में अनुज्ञप्ति धारण करने की स्थिति में सभी मंडियों का अनुज्ञप्ति क्रमांक, वैधता अवधि एवं ई-अनुज्ञा पोर्टल पर आवंटित MAN. **(विवरण मात्र दिया जाना है.)**
- क्रयक्षमता का प्रमाण पत्र एवं घोषणा – प्ररूप - छः अनुसार.
- सामूहिक प्रतिभूति की स्थिति में प्रमाण पत्र - प्ररूप - सात अनुसार.
- व्यक्तिगत प्रतिभूति की स्थिति में प्रमाण पत्र प्ररूप – सात (अ) अनुसार.
- बैंक गारंटी की स्थिति में बैंक के लेटरहेड पर वचन पत्र - प्ररूप – सात (स) अनुसार.
- केवल भंडारण हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति के लिए निर्धारित प्ररूप में शपथपत्र.
- केवल वाणिज्यिक (द्वितीयक) संव्यवहार हेतु कृषकों से क्रय नहीं करने के आशय का निर्धारित प्ररूप में शपथपत्र.
- निर्धारित प्रतिभूति सावधि जमा (एफडीआर) अथवा बैंक गारंटी. **(मूल प्रति मंडी कार्यालय में जमा कराना होगा.)**
- मंडी क्षेत्र के बाहर का होने पर अतिरिक्त प्रतिभूति. **(मूल प्रति मंडी कार्यालय में जमा कराना होगा.)**
- स्थावर/अचल संपत्ति बंधक की स्थिति में वैधानिक अनुबंध. **(मूल प्रति मंडी कार्यालय में जमा कराना होगा.)**

ii. गैर व्यक्तिगत अर्थात पार्टनरशिप फर्म/ कंपनी/ हिंदू अविभक्त परिवार/ सोसाइटी/ कोऑपरेटिव सोसाइटी आदि होने पर

- आवेदनकर्ता संस्था के द्वारा आवेदक का प्राधिकार पत्र, पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी.
- आवेदक का पहचान का प्रमाण व पते का प्रमाण (अनुसूचित बैंकों में स्वीकार्य KYC मानकों के अनुरूप).
- आवेदक का आधार क्रमांक. **(वैकल्पिक)**
- आवेदक का आयकर PAN.
- आवेदनकर्ता संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र (कंपनी अधिनियम, सोसाइटी अधिनियम अथवा अन्य किसी विधि के अनुसार मान्य पंजीयन)
- आवेदनकर्ता संस्था के संविधान, नियम, उपनियम, मेमोरेंडम ऑफ़ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन (जो भी लागू हो)
- आवेदनकर्ता संस्था के शासी निकाय (गवर्निंग बॉडी) अथवा संचालक मंडल (बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स) में सम्मिलित सभी सदस्यों के पहचान का प्रमाण व पते का प्रमाण (अनुसूचित बैंकों में स्वीकार्य KYC मानकों के अनुरूप), आधार क्रमांक. **(विवरण मात्र दिया जाना है.)**
- आवेदनकर्ता संस्था का आयकर PAN.

- आवेदनकर्ता संस्था का भारत सरकार के केंद्रीय माल एवं सेवा कर अंतर्गत पंजीयन क्रमांक (GSTIN).
- आवेदनकर्ता संस्था का मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत VAT का पंजीयन क्रमांक (TIN).
- आवेदनकर्ता संस्था के सभी बैंक खातों का विवरण (सभी बैंक खातों का विवरण दिया जाना अनिवार्य).
- आवेदनकर्ता संस्था की उपलब्ध पूंजी एवं अचल संपत्ति का विवरण, प्रसंस्करण, विनिर्माण संयंत्र का विवरण, पूंजी नियोजन.**(विवरण मात्र दिया जाना है.)**
- कृषि उपज भंडारण हेतु उपलब्ध गोदाम अथवा किराये के गोदाम का विवरण, मालिकाना किरायानामा अनुबंध. गोदाम का नक्शा.
- **व्यापार के मुख्य स्थल, मंडी क्षेत्र अंतर्गत व्यापार के मुख्य स्थल, स्थानीय कार्यालय, अन्य स्थल का विवरण तथा Geo Location. (विवरण मात्र दिया जाना है.)**
- मंडी कार्य संपादित करने वाले अधिकतम 2 अधिकृत प्रतिनिधियों के पहचान का प्रमाण व पते का प्रमाण (अनुसूचित बैंकों में स्वीकार्य KYC मानकों के अनुरूप)
- पूर्व से प्रदेश की किसी मंडी समिति में अनुज्ञप्ति धारण करने की स्थिति में सभी मंडियों का अनुज्ञप्ति क्रमांक, वैधता अवधि एवं ई-अनुज्ञा पोर्टल पर आवंटित MAN.**(विवरण मात्र दिया जाना है.)**
- क्रयक्षमता का प्रमाण पत्र एवं घोषणा – प्ररूप - छः अनुसार.
- सामूहिक प्रतिभूति की स्थिति में प्रमाण पत्र - प्ररूप - सात अनुसार.
- व्यक्तिगत प्रतिभूति की स्थिति में प्रमाण पत्र प्ररूप – सात (अ) अनुसार.
- बैंक गारंटी की स्थिति में बैंक के लेटरहेड पर वचन पत्र - प्ररूप – सात (स) अनुसार.
- केवल भंडारण हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति के लिए निर्धारित प्ररूप में शपथपत्र.
- केवल वाणिज्यिक (द्वितीयक) संव्यवहार हेतु कृषकों से क्रय नहीं करने के आशय का निर्धारित प्ररूप में शपथपत्र.
- निर्धारित प्रतिभूति सावधि जमा (एफडीआर) अथवा बैंक गारंटी. **(मूल प्रति मंडी कार्यालय में जमा कराना होगा.)**
- मंडी क्षेत्र के बाहर का होने पर अतिरिक्त प्रतिभूति. **(मूल प्रति मंडी कार्यालय में जमा कराना होगा.)**
- स्थावर/अचल संपत्ति बंधक की स्थिति में वैधानिक अनुबंध. **(मूल प्रति मंडी कार्यालय में जमा कराना होगा.)**

iii. केंद्र शासन/ राज्य सरकार के अधीन शासकीय संस्था, अर्द्धशासकीय संस्था, सरकारी स्वामित्व की संस्था/ सरकार द्वारा प्रवर्तित सहकारी संस्था हेतु आदि होने पर व्यापारी, प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता अनुज्ञप्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करते समय निर्धारित आवेदन फीस, अनुज्ञप्ति फीस एवं प्रतिभूति (जहाँ भी लागू हो) के साथ निम्नानुसार अभिलेख (अनुप्रमाणित छायाप्रतियां) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा:

- शासकीय संस्था, अर्द्धशासकीय संस्था, सहकारी संस्था होने पर कार्यालय प्रमुख, अथवा अधिकृत प्रतिनिधि प्राधिकार पत्र के साथ, आवेदन कर सकेंगे.
- आवेदनकर्ता संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र. (कंपनी अधिनियम, सोसाइटी अधिनियम अथवा अन्य किसी विधि के अनुसार मान्य पंजीयन)
- आवेदनकर्ता संस्था के संविधान, नियम, उपनियम, मेमोरैंडम ऑफ़ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन (जो भी लागू हो)
- आवेदनकर्ता संस्था का आयकर PAN.
- आवेदनकर्ता संस्था का भारत सरकार के केंद्रीय माल एवं सेवा कर अंतर्गत पंजीयन क्रमांक (GSTIN).

- आवेदनकर्ता संस्था का मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत VAT का पंजीयन क्रमांक (TIN).
- आवेदनकर्ता संस्था के सभी बैंक खातों का विवरण (सभी बैंक खातों का विवरण दिया जाना अनिवार्य).
- मंडी कार्य संपादित करने वाले अधिकतम 2 अधिकृत प्रतिनिधियों के पहचान का प्रमाण व पते का प्रमाण.
- पूर्व से प्रदेश की किसी मंडी समिति में अनुज्ञप्ति धारण करने की स्थिति में अनुज्ञप्ति क्रमांक, वैधता अवधि करने की एवं ई-अनुज्ञा पोर्टल पर आवंटित MAN. **(विवरण मात्र दिया जाना है.)**

iv. किसान उत्पादक कंपनी (FPC)/ किसान उत्पादक संगठन(FPO) हेतु:

किसान उत्पादक कंपनी (FPC)/ किसान उत्पादक संगठन(FPO) हेतु राज्य शासन / म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड की नीति के अनुसार अथवा प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों में विहित अनुसार. (जो भी लागू हो)

उक्त (i), (ii), (iii) व (iv) में उल्लेखित अभिलेख की उपलब्धता / अनुपलब्धता के संबंध में मंडी सचिव द्वारा प्रकरण में स्वविवेक से स्पष्ट अभिलिखित निर्णय लिया जा सकेगा।

v. तुलैया अथवा तुलावटी अनुज्ञप्ति तथा हम्माल अनुज्ञप्ति

- **आवेदक का पहचान का प्रमाण व पते का प्रमाण.**
- **आवेदक की उम्र का प्रमाण.**
- **आवेदक का आधार क्रमांक. (वैकल्पिक)**
- **शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण.**

vi. सर्वेक्षक/ दलाल / परिवहनकर्ता/ ग्रेडर /असेयर हेतु अनुज्ञप्ति

- आवेदक का पहचान का प्रमाण व पते का प्रमाण.
- आवेदनकर्ता संस्था के द्वारा आवेदक का प्राधिकार पत्र, पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी. (**पार्टनरशिप फर्म/ कंपनी/ हिंद्रू अविभक्त परिवार/ सोसाइटी/ कोऑपरेटिव सोसाइटी** आदि की स्थिति में)
- आवेदक का आधार क्रमांक. **(वैकल्पिक)**
- आवेदक का आयकर PAN.
- आवेदनकर्ता संस्था प्रोपराईटरशिप फर्म/ **पार्टनरशिप फर्म/ कंपनी/ हिंद्रू अविभक्त परिवार/ सोसाइटी/ कोऑपरेटिव सोसाइटी** का पंजीयन प्रमाण पत्र, **(कंपनी अधिनियम, सोसाइटी अधिनियम अथवा अन्य किसी विधि के अनुसार मान्य पंजीयन)**
- आवेदनकर्ता संस्था प्रोपराईटरशिप फर्म/ **पार्टनरशिप फर्म/ कंपनी/ हिंद्रू अविभक्त परिवार/ सोसाइटी/ कोऑपरेटिव सोसाइटी** का आयकर PAN.
- आवेदनकर्ता संस्था प्रोपराईटरशिप फर्म/ प्रोपराईटरशिप फर्म/ **पार्टनरशिप फर्म/ कंपनी/ हिंद्रू अविभक्त परिवार/ सोसाइटी/ कोऑपरेटिव सोसाइटी** का भारत सरकार के केंद्रीय माल एवं सेवा कर अंतर्गत पंजीयन क्रमांक (GSTIN).
- आवेदनकर्ता संस्था प्रोपराईटरशिप फर्म/ **पार्टनरशिप फर्म/ कंपनी/ हिंद्रू अविभक्त परिवार/ सोसाइटी/ कोऑपरेटिव सोसाइटी** के बैंक खातों का विवरण.

(2)(ग) - आवेदन फीस एवं अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान.

ऑनलाइन आवेदन की स्थिति में निर्धारित आवेदन फीस एवं अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान नकद (केवल कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर) अथवा नेटबैंकिंग / डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / अन्य ऑनलाइन भुगतान माध्यम से (पोर्टल से स्वयं आवेदन करने पर) किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की स्थिति में, समय-समय पर नियत पोर्टल शुल्क का भुगतान भी करना होगा।

उक्तानुसार प्राप्त आवेदन फीस एवं अनुज्ञप्ति फीस, एमपी ऑनलाइन (या इस संबंध में अन्य सेवा प्रदाता एजेंसी, जिसके बारे में प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जाए) के द्वारा मंडी समितियों को नियत प्रक्रिया, जैसा कि प्रबंध संचालक समय-समय पर निर्देशों में विहित करें, अनुसार अंतरित की जाएगी।

(2)(घ) – अनुज्ञप्ति आवेदन का निराकरण. -

ऑनलाइन आवेदन, आवश्यक पात्रता एवं अभिलेखों की पूर्ति होने पर ही स्वीकार हो सकेगा।

एमपी ऑनलाइन पोर्टल (या इस संबंध में विकसित किए गए अन्य पोर्टल, जिसके बारे में प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जाए) पर सभी तरह से पूर्ण आवेदन, मंडी सचिव के लॉगिन पर उपलब्ध होंगे। नवीन अनुज्ञप्ति के प्रकरण में नई नस्ती बनाकर अथवा नवीनीकरण आवेदन के मामले में आवेदक की पुरानी नस्ती के साथ ही, आवेदन को नियत प्ररूप में पंजीबद्ध करते हुए यथास्थिति मंडी निरीक्षक या मंडी सचिव को आगामी कार्यवाही के लिए प्रकरण हस्तांतरित किया जाएगा।

इस नस्ती पर बाज़ार व्यवस्था शाखा, मंडी शुल्क शाखा, लेखा सत्यापन शाखा, अनुज्ञा शाखा, लेखा शाखा तथा अन्य संबंधित शाखा प्रभारियों का अभिमत प्राप्त किया जाएगा।

आवेदक तथा/ अथवा आवेदनकर्ता संस्था के PAN एवं GSTIN के विवरण की जांच ई-अनुज्ञा पोर्टल पर उपलब्ध व्यापारियों के Database से की जाएगी जिससे आवेदक तथा/ अथवा आवेदनकर्ता संस्था के पूर्व से प्रदेश की कृषि उपज मंडी समिति में अनुज्ञप्तिधारी होने का मिलान किया जा सकेगा.

मंडी सचिव, आवेदन में उल्लेखित तथ्यों की जांच, मंडी निरीक्षक अथवा सहायक उप निरीक्षक से कराएंगे। सभी संबंधित शाखाओं से अभिमत प्राप्त होने एवं आवश्यक जांच के उपरांत मंडी सचिव द्वारा आवेदन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का स्पष्ट निर्णय अभिलिखित किया जाकर अनुज्ञप्ति स्वीकृत अथवा अस्वीकृत की जाएगी। **अनुज्ञप्ति, एमपी ऑनलाइन पर पोर्टल (या इस संबंध में विकसित किए गए अन्य पोर्टल, जिसके बारे में प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जाए) पर मंडी सचिव के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट / ई साइन से ऑनलाइन ही जारी की जाएगी. कृषि उपज मंडी द्वारा अनुज्ञप्ति की हार्ड कॉपी पृथक से जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी. आवेदक अथवा आवेदनकर्ता संस्था भी लाइसेंस पोर्टल से स्वयं ही अनुज्ञप्ति डाउनलोड कर सकेंगे.**

अस्वीकृति की दशा में कृषि उपज मंडी समिति के द्वारा ही, केवल अनुज्ञप्ति फीस नकद राशि अथवा चेक के माध्यम से पंजीकृत डाक द्वारा अथवा आवेदक को तत्काल हस्तगत कर वापस कर दी जाएगी ।

यह समस्त कार्यवाही आवेदन प्रस्तुत करने के 6 सप्ताह में पूर्ण करली जाएगी।

आवेदक अथवा आवेदनकर्ता संस्था के पूर्व से किसी मंडी में व्यतिक्रमी एवं बकायादार होने की स्थिति में नवीन अनुज्ञप्ति स्वीकृत अथवा अनुज्ञप्ति नवीकृत नहीं की जाएगी।

सर्वेक्षक/ दलाल / परिवहनकर्ता/ ग्रेडर/ असेयर हेतु अनुज्ञप्ति के लिए प्राप्त भौतिक आवेदन के लिए भी मंडी के द्वारा उक्तानुसार निराकरण कार्यवाही 6 सप्ताह में पूर्ण करली जाएगी तथा भौतिक रूप से सचिव द्वारा हस्ताक्षरित अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी.

मंडी सचिव, अनुज्ञप्ति स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के निर्णय से मंडी समिति को आगामी सम्मेलन में सूचनार्थ अवगत कराएंगे।

(3) – व्यक्तिगत प्रतिभूति

अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (ग्यारह) की कंडिका (क) के अतंर्गत व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता/पक्का आढ़तिया को अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने के पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए कि विक्रेताओं को भुगतान की जोखिम न रहे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति / फर्म से **प्ररूप - छः** में घोषणा पत्र तथा क्रय क्षमता संबंधी प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जाएगा जिसके अनुरूप आवेदक को मंडी समिति द्वारा निर्धारित राशि की सावधि जमा (एफडीआर) मंडी समिति के पक्ष में बनवाकर अथवा बैंक गारंटी, मंडी समिति कार्यालय में जमा करनी होगी ।

या उतनी राशि की स्थावर / अचल संपत्ति के मूल अभिलेख मंडी समिति कार्यालय में जमा कराते हुए आवेदक को मंडी समिति के पक्ष में प्रबंध संचालक द्वारा निर्देशों में विहित नियत प्ररूप में वैधानिक अनुबंध करना होगा कि यदि वह विक्रेता को भुगतान करने में असफल रहता है तो उक्त स्थावर संपत्ति मंडी समिति द्वारा बेची जाकर मंडी समिति विक्रेता को भुगतान कर सकती है ।

या मंडी समिति द्वारा निर्धारित की गई प्रतिभूति की राशि नगद जमा की जाएगी एवं रसीद प्राप्त की जाएगी।

परंतु प्रतिभूति के रूप में बैंक गारंटी जारी करने वाले संबंधित बैंक के प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षरित (नाम एवं पदमुद्रा सहित) **प्ररूप - सात-स** में वचन पत्र मंडी समिति को प्रस्तुत करना होगा।

व्यक्तिगत प्रतिभूति के प्रमाण स्वरुप **प्ररूप - सात-अ** में आवेदन के साथ प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा।

मंडी समिति इस तथ्य का परीक्षण करती रहेगी कि घोषणा पत्र में एक दिन की खरीद के दर्शाये गए घोषित मूल्य से अधिक मात्रा में कृषि उपज क्रय नहीं की जाए।

ऐसी स्थिति में प्रतिभूति में अधिकतम दैनिक खरीदी के अनुपात में अनिवार्यतः वृद्धि की जाएगी।

यदि आवेदक के द्वारा कृषि उपज के विक्रेता/विक्रेताओ का भुगतान नही किया जाता है तो

उसका संपूर्ण भुगतान व्यक्तिगत प्रतिभूति की राशि मे से किया जाएगा।

(4) - सामूहिक प्रतिभूति

अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (ग्यारह) की कंडिका (क) के अतंर्गत व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता/पक्का आढ़तिया को अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने के पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए कि विक्रेताओं को भुगतान की जोखिम न रहे **प्ररूप-छः** में घोषणा पत्र तथा क्रय क्षमता संबंधी प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जाएगा।

सामूहिक प्रतिभूति के लिए मंडी में कार्यरत समस्त व्यापारी संगठन मंडी समिति कार्यालय में पंजीबद्ध होंगे एवं व्यापारियों के मामले में व्यापारी संगठनों को मंडी समिति द्वारा निर्धारित राशि की सावधि जमा (एफडीआर) मंडी समिति के पक्ष मे बनवाकर अथवा बैंक गारंटी, मंडी समिति कार्यालय में जमा करना होगी एवं आवेदन के साथ **प्ररूप - सात** में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

परंतु प्रतिभूति के रूप में बैंक गारंटी जारी करने वाले संबंधित बैंक के प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षरित (नाम एवं पदमुद्रा सहित) **प्ररूप - सात-स** में वचन पत्र मंडी समिति को प्रस्तुत करना होगा।

मंडी समिति इस तथ्य का परीक्षण करती रहेगी कि संबंधित व्यापारी घोषणा पत्र में एक दिन की खरीद के दर्शाये गए घोषित मूल्य से अधिक मात्रा में कृषि उपज क्रय नहीं की जाए।

ऐसी स्थिति में प्रतिभूति में अधिकतम दैनिक खरीदी के अनुपात में अनिवार्यतः वृद्धि की जाएगी।

यदि आवेदक के द्वारा कृषि उपज के विक्रेता/विक्रेताओ का भुगतान नही किया जाता है तो उसका संपूर्ण भुगतान सामूहिक प्रतिभूति की राशि मे से किया जाएगा।

(5) - प्रतिभूति की सीमा एवं निराकरण -

अधिनियम की धारा 17(2) के खंड ग्यारह (क) एवं ग्यारह (ख) के अंतर्गत विक्रता को भुगतान की जोखिम न रहे इस हेतु ली जाने वाली व्यक्तिगत, सामूहिक प्रतिभूति जो एफडीआर / नगद / बैंक गारंटी/स्थावर संपत्ति/के रूप में ली जाएगी उसकी निम्नानुसार न्यूनतम सीमा निर्धारित की जाती है :

अनुज्ञप्ति का प्रकार	**प्रतिभूति**
(अ) व्यापारी / पक्का आढ़तिया हेतु अनुज्ञप्ति	न्यूनतम रुपये 1,00,000 /- अथवा एक दिन की क्रय क्षमता अनुज्ञप्ति अनुसार (जो भी अधिक हो) (प्रतिभूति में अधिकतम दैनिक खरीदी के अनुपात में अनिवार्यतः वृद्धि की जाएगी।)
(अ-1) **केंद्र शासन/ राज्य सरकार के अधीन** शासकीय **संस्था**, अर्द्धशासकीय **संस्था,** सरकारी स्वामित्व की **संस्था/**	प्रतिभूति से मुक्त

सरकार द्वारा प्रवर्तित सहकारी संस्था हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति	
(अ-2) केवल भंडारण हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति	कृषकों से कृषि उपज क्रय नहीं किए जाने का प्रतिबंध होने से प्रतिभूति से मुक्त
(अ-3) किसान उत्पादक कंपनी (FPC)/ **किसान उत्पादक संगठन (FPO)** हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति	किसान उत्पादक कंपनी (FPC)/ **किसान उत्पादक संगठन (FPO)** हेतु राज्य शासन/म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड की नीति के अनुसार अथवा प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों में विहित अनुसार. (जो भी लागू हो)
(अ-4) केवल वाणिज्यिक (द्वितीयक) संव्यवहार हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति	कृषकों से कृषि उपज क्रय नहीं किए जाने का प्रतिबंध होने से प्रतिभूति से मुक्त
(ब) प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता हेतु अनुज्ञप्ति	**कृषकों से कृषि उपज क्रय नहीं किए जाने का प्रतिबंध होने से प्रतिभूति से मुक्त**
(ब-1) **केंद्र शासन/ राज्य सरकार के अंतर्गत** शासकीय **संस्था**, अर्द्धशासकीय **संस्था,** सरकारी स्वामित्व की **संस्था/** सरकार द्वारा प्रवर्तित सहकारी संस्था हेतु प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता अनुज्ञप्ति	प्रतिभूति से मुक्त

किसान उत्पादक कंपनी (FPC)/ किसान उत्पादक संगठन (FPO) हेतु राज्य शासन / मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की नीति के अनुसार अथवा प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों में विहित अनुसार (जो भी लागू हो) प्रावधान लागू होंगे।

मंडी क्षेत्र के बाहर का होने पर अतिरिक्त प्रतिभूति -

व्यापारी / पक्का आढ़तिया हेतु अनुज्ञप्ति - मंडी क्षेत्र के बाहर निवास करने वाले आवेदक के लिए उक्तानुसार प्रतिभूति के निम्नानुसार **अतिरिक्त प्रतिभूति**, मंडी समिति के पक्ष मे नकद, सावधि जमा अथवा बैंक गारंटी की प्रतिभूति मंडी समिति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

"अ" वर्ग की मंडी हेतु	न्यूनतम रुपये 3.00 लाख
"ब" वर्ग हेतु	न्यूनतम रुपये 2.00 लाख
"स" वर्ग हेतु	न्यूनतम रुपये 1.50 लाख
"द" वर्ग हेतु	न्यूनतम रुपये 1.00 लाख

मंडी क्षेत्र में स्थानीय कार्यालय की स्थापना कर लेने पर उक्त अतिरिक्त प्रतिभूति दिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी.

अतिरिक्त प्रतिभूति का यह प्रावधान किसान उत्पादक कंपनी (FPC)/ किसान उत्पादक संगठन (FPO) हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति के लिए लागू नहीं होगा.

मंडी समिति इस तथ्य का परीक्षण करती रहेगी कि घोषणा पत्र में एक दिन की खरीद के दर्शाए गए घोषित मूल्य से अधिक मात्रा में कृषि उपज क्रय नहीं की जाए।

ऐसी स्थिति में प्रतिभूति में अधिकतम दैनिक खरीदी के अनुपात में अनिवार्यतः वृद्धि की जाएगी।

प्रतिभूति का निराकरण :

यदि कृषक विक्रेताओं की भुगतान की राशि अथवा / एवं मंडी के कोई शोध्य शेष / बकाया, यदि कोई हो तो, उक्त प्रतिभूति में से वसूल की जाकर शेष राशि वापस की जाएगी। स्थावर/अचल संपत्ति के प्रतिभूति के रूप में वैधानिक अनुबंध की स्थिति में संपत्ति भू-राजस्व बकाया की वसूली के क्रम में कुर्की की जाकर कृषक विक्रेताओं की भुगतान की राशि अथवा / एवं मंडी के कोई शोध्य शेष / बकाया वसूल किया जाएगा।

(6) अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि -

मूलतः अनुज्ञप्ति की अवधि अनुज्ञप्ति स्वीकृत होने के दिनाँक से **तीस** वर्ष तक होगी।

परंतु अनुज्ञप्ति नवीनीकरण हेतु आवेदन निर्धारित समयावधि उपरांत प्राप्त होने पर अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण, **ऑनलाइन आवेदन** स्वीकृत होने के दिनाँक से ही **तीस** वर्ष की अवधि हेतु किया जाएगा।

अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के मामले में निर्धारित समयावधि पूर्व आवेदन प्राप्त होने पर पूर्व स्वीकृत अनुज्ञप्ति की समाप्ति दिनाँक से ही **तीस** वर्ष तक अनुज्ञप्ति नवीनीकृत की जा सकेगी।

पार्टनरशिप फर्म की दशा में पार्टनर्स के नामों में परिवर्तन होने पर अथवा कंपनी की दशा में संचालकगण के नामों में परिवर्तन होने की दशा में परिवर्तन के चौदह दिवस के भीतर मंडी समिति को लिखित रूप में सूचना दी जाएगी। मंडी समिति उपयुक्त परीक्षण के बाद इस परिवर्तन के संबंध में निर्णय लेकर अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करेगी।

आवेदक संस्था के नाम परिवर्तन अथवा आवेदक संस्था के संगठन में परिवर्तन के संबंध में प्राप्त किसी आवेदन के संबंध में मंडी के द्वारा संबंधित का आवेदन, नाम परिवर्तन अथवा संगठन में परिवर्तन के समर्थन में पर्याप्त शासकीय दस्तावेज, शपथपत्र आदि का परीक्षण उपरांत ऑनलाइन लाइसेंस पोर्टल पर नाम परिवर्तन हेतु अनुरोध किया जाएगा जिससे मंडी सचिव के लॉगिन पर पुनः मूल आवेदन उपलब्ध हो सकेगा जिसमें मंडी सचिव के स्तर से आवश्यक संशोधन किया जाकर डिजिटल सिग्नेचर उपरांत अद्यतन संशोधित अनुज्ञप्ति जारी की जा सकेगी. यह कार्यवाही आवेदन प्राप्ति के चौदह दिवस के भीतर पूर्ण कर ली जाएगी.

(7) अनुज्ञप्ति जारी करना -

आवेदन प्राप्त होने पर उपयुक्त जांच की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। आवेदन यदि स्वीकृत किया जाता है तब ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन प्ररूप {प्ररूप - आठ (1), प्ररूप - आठ (2), प्ररूप - आठ (3), प्ररूप - आठ (4), प्ररूप - आठ (5), प्ररूप - आठ (6), प्ररूप - आठ (7) प्ररूप - आठ (8)} में अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी। अनुज्ञप्ति पर सचिव के हस्ताक्षर / डिजिटल सिग्नेचर होगें ।

ऑनलाइन आवेदन करने पर अनुज्ञप्ति एमपी ऑनलाइन के पोर्टल (या इस संबंध में विकसित किए गए अन्य पोर्टल, जिसके बारे में प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जाए) से भी डाउनलोड की जा सकेगी ।

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति को कांच फ्रेम में जड़वा कर प्रतिष्ठान पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(7)(2) व्यापारी, प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता अनुज्ञप्ति के संबंध में ई अनुज्ञा पोर्टल पर प्रविष्टि-

व्यापारी, प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता अनुज्ञप्ति के संबंध में ई अनुज्ञा पोर्टल पर निम्न अनुसार आवश्यक शुद्ध प्रविष्टि (केवल अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में) की जाएगी -

- **अनुज्ञप्ति क्रमांक.**
- **लाइसेंसी संस्था का व्यापारिक नाम (Trade Name/ Business Name).**
- **Trader, Proprietor अथवा प्राधिकृत व्यक्ति का नाम.**
- **PAN.**
- **GSTIN.**
- **व्यापार के मुख्य स्थल का विवरण - पता तथा Geo Location (अक्षांश तथा देशांश).**
- **व्यापार के अन्य स्थलों (यदि कोई हो) का विवरण - पता तथा Geo Location (अक्षांश तथा देशांश).**
- **अनुज्ञप्ति वैधता अवधि - स्वीकृति दिनांक, वैधता समाप्ति दिनांक.**
- **मंडी कार्य हेतु नियुक्त व्यक्तियों के नाम.**
- **मोबाइल नंबर**
- **ईमेल आईडी**
- **लाइसेंस का प्रकार - व्यापार, प्रसंस्करण/विनिर्माण, भंडारण, वाणिज्यिक (द्वितीयक) संव्यवहार.**
- **FPC/ FPO होने की स्थिति.**
- **प्रतिभूति का विवरण - प्रकार (एफडीआर/नगद/बैंक गारंटी/स्थावर संपत्ति) तथा मूल्य (राशि).**
- **प्रतिभूति में छूट की स्थिति.**

(8) कपास के प्रत्येक क्रेता के लिए उसके द्वारा क्रय की गई कपास की तौल स्वयं के द्वारा स्थापित अथवा मंडी समिति द्वारा स्थापित अथवा मंडी समिति द्वारा अनुज्ञप्ति अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा स्थापित इलेक्ट्रानिक तौल कांटे पर कराना अनिवार्य होगा। अन्य अधिसूचित कृषि उपजों के तौल के संबंध में भी मंडी समिति इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे की शर्त अनुज्ञप्ति की शर्तों में सम्मिलित कर सकती है किंतु इस संबंध में मंडी समिति द्वारा निर्णय लिया जाकर कम से कम एक माह पूर्व संबंधित अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करना होगा।

(9) हम्माल तुलावटी के अक्षम होने पर अनुज्ञप्ति स्वीकृत करना :-

कृषि उपज मंडी के अनुज्ञप्तिधारी हम्माल, तुलावटियों की मृत्यु अथवा कार्य करने में असक्षम होने के परिणामस्वरूप उनके एक अर्हत आश्रित को उक्त हम्माल, तुलावटी के स्थान पर अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जाएगी।

19. अनुज्ञप्ति को निलंबित अथवा रद्द किया जाना :-

(1) मंडी समिति द्वारा उपविधि 18 एवं 30 के अंतर्गत स्वीकृत अनुज्ञप्ति को निम्न आधारों पर निलंबित अथवा रद्द किया जाएगा:-

(क) अनुज्ञप्तिधारी का आचरण मंडी समिति के हित में नही होने पर।

(ख) मंडी फीस/निराश्रित सहायता राशि का भुगतान चौदह दिन के भीतर नहीं करने पर अथवा विलंब की दशा में 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर ब्याज सहित 1 माह में भुगतान नहीं करने पर।

(ग) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972, उसके अधीन बनाये गए नियम, उपविधि के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर।

(घ) अन्य अवशेष के मामलों में मंडी समिति से जारी सूचना पत्र/मांग पत्र में उल्लेखित अवधि में राशि जमा न करने पर।

(ङ) विवरणियां नियत कालिक अवधि में प्रस्तुत न करने पर।

(च) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 37(2)(ग) के प्रावधान अनुसार विक्रेता/ कृषकों को देय ब्याज सहित भुगतान नियत समयावधि में नहीं करने पर अनुज्ञप्ति स्वतः रद्द/ निरस्त कर दी गई समझी जाएगी।

(छ) अनुज्ञप्ति हेतु जमा कराई गई व्यक्तिगत/ सामूहिक प्रतिभूति को अधिकतम दैनिक खरीदी के अनुपात में वृद्धि करना तथा अभिलेखों की वैधता अवधि समाप्ति की दशा में वैधता अवधि को बढ़ाना अनिवार्य होगा।

(ज) अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारियों का कोई संगठन यदि हड़ताल, तालाबंदी, कार्य न करने या अन्य किसी प्रकार से मंडी के कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का कार्य करता है तो उसे निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा :

- हड़ताल, तालाबंदी, कार्य न करने या किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने के 7 कार्य दिवस पूर्व मंडी समिति एवं प्रबंध संचालक को लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा।

- उपरोक्त निर्देश का पालन ना करने पर मंडी समिति या प्रबंध संचालक या प्रबंध संचालक के द्वारा निर्देशित कोई भी प्राधिकारी मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत, हड़ताल आदि करने वाले व्यक्ति या संगठन, संगठन से जुड़े किसी भी व्यक्ति पर निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकेगी-

(अ) किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया में सूचना ना दिये जाने की स्थिति में संगठन या संगठन से जुड़े व्यक्तियों की अनुज्ञप्ति 7 कार्य दिवस के लिए निलंबित कर दी जाएगी।

(ब) उपरोक्त बिंदु क्रमांक (अ) का दोबारा उल्लंघन करने वाले व्यक्ति एवं संगठन या संगठन से जुड़े व्यक्तियों की अनुज्ञप्ति 14 कार्य दिवस के लिए निलंबित कर दी जाएगी।

(स) यदि कोई भी व्यक्ति एवं संगठन, उपरोक्त बिंदु क्रमांक (अ) एवं (ब) का उल्लंघन करते हुये पाया जाता है तो उसकी अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया जाएगा।

- कोई भी व्यक्ति एवं संगठन जो कि हड़ताल करने का इच्छुक है एवं उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया का पालन करता है, वह किसी भी अन्य व्यक्ति के कार्य में बाधा पहुँचाने से निषेधित किया जाता है। ऐसा पाये जाने पर उक्त व्यक्ति पर मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 एवं उपरोक्त प्रावधानो के तहत कार्यवाही की जाएगी।

(2) अनुज्ञप्ति निलंबित अथवा रद्द किए जाने के पूर्व अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (4) के अंतर्गत संबंधित को "कारणदर्शी सूचना पत्र जारी किया जाएगा एवं लिखित कारण दर्शाने के लिए कम से कम 7 दिन की अवधि दी जाएगी।

(3) कारणदर्शी सूचना पत्र का उत्तर प्राप्त होने पर सचिव द्वारा 03 कार्यालयीन कार्यदिवस की अवधि में परीक्षण किया जाएगा एवं नस्ती पर परीक्षण टीप अंकित की जाएगी। परीक्षण टीप के निष्कर्ष में अनुज्ञप्ति रद्द करने या न करने के संबंध में स्पष्ट अभिमत अंकित किया जाएगा। अनुज्ञप्ति निलंबित करने के संबंध में अवधि का स्पष्ट उल्लेख करते हुये स्पष्ट अभिमत अंकित किया जाएगा।

(4) अध्यक्ष द्वारा कारणों सहित नस्ती प्रस्तुत होने की तारीख से 02 कार्यालयीन कार्यदिवस में लिखित निर्णय पारित किया जाएगा, जिसके अनुसार आदेश तत्काल सचिव द्वारा जारी किया जाकर निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जाएगी। इसी प्रकार अनुज्ञप्ति रद्द करने के मामले में सचिव के निष्कर्षो को दृष्टिगत रखते हुये समिति द्वारा कारण सहित लिखित निर्णय पारित किया जाएगा। किंतु आदेश तत्काल सचिव द्वारा जारी किया जाकर निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जाएगी।

सचिव द्वारा मंडी कृत्यकारी की अनुज्ञप्ति को निलंबित करने की अनुशंसा पर अध्यक्ष की सहमति नहीं होने पर प्रकरण मंडी समिति के समक्ष प्रस्तुत कर 07 दिवस में निराकरण करा जाएगा।

(5) अनुज्ञप्ति रद्द अथवा निलंबित हो जाने का परिणाम यह होगा कि आदेश जारी किए जाने के दिनांक से अनुज्ञप्ति निष्प्रभावी हो जाएगी एवं अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्व अथवा उसके अभिरक्षा में रखी कृषि उपज को निर्गमित नहीं किया जा सकेगा। यदि

किसी विक्रेता का भुगतान अवशेष है तब ऐसी स्थिति में पूरी जांच के बाद सचिव मंडी समिति उक्त कृषि उपज का मंडी में खुले घोष विक्रय में विक्रय करके विक्रेता को भुगतान करेगा और फिर भी अवशेष रहने पर अनुज्ञप्तिधारी की संपत्ति की बिक्री से भुगतान

कराएगा। इसी प्रकार यदि मंडी समिति का कोई अवशेष है तो इसी प्रक्रिया में एक माह में वसूल किया जाएगा।

(6) यह प्रावधान मंडी अधिनियम की धारा 34 के विपरीत होने से विलोपित किया जाए।

20. मंडी फीस उद्ग्रहण :-

(1) अधिसूचित कृषि उपज, चाहे वह राज्य के भीतर से या राज्य के बाहर से मंडी क्षेत्र में लाई गई हो, के विक्रय पर मंडी फीस उद्ग्रहित की जाएगी।

परंतु निराश्रित सहायता राशि का उद्ग्रहण भी उसी प्रक्रिया में होगा जैसा कि मंडी फीस उद्ग्रहण के लिए निर्धारित है एवं विवरणियां उन्हीं प्रारूपों में पृथक से उसी अवधि में उसी रूप में प्रस्तुत की जाएगी जैसा कि मंडी फीस के संबंध में निर्धारित है।

(2) अधिसूचित कृषि उपज पर चाहे वह राज्य के भीतर से या राज्य के बाहर से प्रसंस्करण या विनिर्माण के उपयोग के लिए मंडी क्षेत्र में लाई गई हो, के मूल्य पर मंडी फीस उद्ग्रहित की जाएगी।

(3) मंडी फीस की दर कृषि उपज की कीमत के प्रत्येक एक सौ रुपये पर न्यूनतम पचास पैसा अधिकतम दो रुपया जैसा कि राज्य सरकार निर्धारित करें, होगी।

(4) ऐसी किसी भी कृषि उपज पर मंडी फीस पुनः वसूल नहीं की जा सकेगी जिस पर की प्रदेश की किसी मंडी में मंडी फीस का भुगतान कर दिया गया हो और उसके प्रमाणस्वरूप चौदह दिवस की अवधि में **प्ररूप - नौ** में अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हो।

(5) मंडी फीस कृषि उपज के क्रेता से उद्ग्रहित की जाएगी और विक्रेता को संदेय कीमत में से नहीं काटी जाएगी।

परंतु जहां किसी अधिसूचित कृषि उपज का क्रेता पहचाना ना जा सके वहां समस्त फीस उस व्यक्ति द्वारा संदेय होगी जिसने कि उपज को बेचा हो या जो उपज को मंडी क्षेत्र में विक्रय के लिए लाया हो,

यह और कि मंडी क्षेत्र में व्यापारियों के बीच वाणिज्यिक संव्यवहार होने की दशा में मंडी फीस विक्रेता द्वारा संग्रहित की जाएगी तथा मंडी समिति कार्यालय में जमा की जाएगी परंतु यह भी कि वाणिज्यिक संव्यवहार के लिए या प्रसंस्करण या विनिर्माण के लिए मंडी क्षेत्र में लाई गई कृषि उपज पर मंडी फीस यथास्थिति, क्रेता या प्रसंस्करणकर्ता द्वारा उस दशा में मंडी समिति के कार्यालय में चौदह दिन के भीतर जमा की जाएगी, यदि क्रेता या प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता ने धारा 19 की उपधारा (6) के अधीन जारी किया गया अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

(6) कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन मंडी फीस का भुगतान करने के लिए दायी है, उसका भुगतान मंडी समिति को अधिसूचित कृषि उपज के क्रय करने के या उसे प्रसंस्करण या विनिर्माण के लिए मंडी क्षेत्र में आयात करने के चौदह दिन के भीतर करेगा और उसमें व्यतिक्रम होने पर वह मंडी फीस तथा उसके साथ उस पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का दायी होगा।

(7) यदि कोई भी व्यक्ति मंडी अधिनियम की धारा 19 (ख) की उपधारा (1) के अधीन मंडी

फीस तथा ब्याज का भुगतान एक मास के भीतर करने में असफल रहता है तो ऐसे व्यक्ति को उस मंडी क्षेत्र में या किसी अन्य मंडी क्षेत्र में आगे का संव्यवहार करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और ब्याज सहित मंडी फीस भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जाएगी और ऐसे व्यक्ति की अनुज्ञप्ति रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगी।

(8) पाक्षिक विवरणी व्यापारी अनुज्ञप्तिधारियों के लिए - **प्ररूप - ग्यारह-क एवं प्ररूप - ग्यारह-ख**, प्रसंस्करणकर्ता/विनिर्माता के लिए - **प्ररूप - बारह-क एवं प्ररूप - बारह-ख** तथा प्रसंस्करणकर्ता/विनिर्माता द्वारा केवल स्थापित दाल मिलों के उपयोग के लिए राज्य के बाहर से मंडी क्षेत्र में प्रसंस्करण या विनिर्माण करने के लिए लाई गई अधिसूचित कृषि उपज उड़द/उरदा, मूंग, तुअर/अरहर, चना, मसूर एवं बटरी के संबंध में **प्ररूप - बारह-ग एवं प्ररूप - बारह-घ,** निर्धारित है।

वर्तमान में ई-अनुज्ञा प्रणाली प्रवर्त्त होने के उपरांत व्यापारियों एवं मंडी कर्मचारियों द्वारा ई-अनुज्ञा पोर्टल से ऑनलाइन अनुज्ञा जारी किए जा रहे है। इसके साथ ही ई-अनुज्ञा प्रणाली में कृषि उपज के सभी विक्रय संव्यवहार अभिलिखित (Record) किए जा रहे है। अतः पाक्षिक विवरणी के संबंध में निम्नानुसार ऑनलाइन प्रक्रिया निर्धारित की जाती है -

(क) ई-अनुज्ञा पोर्टल पर मंडी के लॉगिन (मंडी सचिव/ मंडी निरीक्षक/ सहायक उपनिरीक्षक के लॉगिन) पर प्रत्येक व्यापारी/ प्रसंस्करणकर्ता/ विनिर्माता के लिए पाक्षिक विवरणी {**प्ररूप - ग्यारह-क, ग्यारह-ख, बारह-क, बारह-ख, बारह-ग एवं बारह-घ**} सिंगल क्लिक से generate करने का Privilege/ Roll उपलब्ध होगा।

(ख) ई-अनुज्ञा यूजर (मंडी सचिव/ मंडी निरीक्षक/ सहायक उपनिरीक्षक) द्वारा उक्त (क) अनुसार पाक्षिक विवरणी, प्रत्येक माह की 1 तारीख से 15 तारीख तक के पक्ष के लिए माह की 25 तारीख को auto generate हो जाएगी तथा प्रत्येक माह की 16 तारीख से अंतिम तारीख तक के पक्ष के लिए आगामी माह की 10 तारीख को auto generate हो जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी के लिए auto generated पाक्षिक विवरणी का रिकॉर्ड संधारित रखा जाएगा।

(ग) वाणिज्यिक संव्यवहार में मंडी फीस से छूट हेतु अनुज्ञापत्र की ऑनलाइन पुष्टि की प्रक्रिया में उपविधि कंडिका 20(10) के प्रावधान लागू रहेंगे।

(घ) पाक्षिकी विवरणी ऑनलाइन generate होने से अनुज्ञप्तिधारी को भौतिक रूप से पाक्षिकी विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। उक्तानुसार auto generated पाक्षिकी अंतिम होगी।

(ङ) प्रदेश के बाहर से वाणिज्यिक संव्यवहार के क्रम में आयातित कृषि उपज के प्रमाणस्वरूप बिल (**प्ररूप - बारह-घ** में उल्लेखित) की छायाप्रति संबंधित क्रेता (व्यापारी/ प्रसंस्करणकर्ता/ विनिर्माता) द्वारा मंडी समिति के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

(च) उपविधि **प्ररूप - चौदह-क, चौदह-ख एवं चौदह-ग** में प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल के पूर्व प्रत्येक व्यापारी/प्रंसस्करणकर्ता, विनिर्माताओं एवं पक्का आढ़तियां मंडी कृत्यकारी को वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(छ) प्रत्येक अधिसूचित कृषि उपज को यथास्थिति निर्गमित या प्रसंस्करण या विनिर्माण किए जाने के पूर्व अथवा उसे क्रय किए जाने/प्रसंस्करण या विनिर्माण के लिए लाए जाने से चौदह दिवस में मंडी फीस का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

(8-अ) परंतु भांडागारिकों द्वारा स्वयं के अथवा अन्य व्यक्ति के या संस्था के भंडारगृहों में भंडारित सभी अधिसूचित कृषि उपजों के भंडारण/निर्गमन एवं शेष स्कंध की पाक्षिक विवरणी **प्ररूप - बारह-ङ** में प्रत्येक माह की 16 तारीख एवं मास के अंत में मंडी समिति को अनिवार्यतः प्रस्तुत की जाएगी। भंडारगृह में भंडारित अधिसूचित कृषि उपजों के हटाने के पूर्व अधिसूचित कृषि उपजों को धारा 19 की उपधारा (6) के अधीन मंडी समिति द्वारा जारी अनुज्ञापत्र भांडागारिक को अवलोकनार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, तदुपरांत भांडागारिक द्वारा अधिसूचित कृषि उपज के भंडारगृह से निर्गमन की अनुज्ञा दी जाएगी और संबंधित निर्गमन पंजी में भी उक्त अनुज्ञा का क्रमांक / दिनांक तथा मात्रा अंकित किया जाएगा।

भांडागारिकों के लिए यह भी अनिवार्य होगा कि वे अधिसूचित कृषि उपजों के भंडारण एवं निर्गमन के संबंध में ऐसी समस्त जानकारी तत्काल प्रस्तुत करें जो मंडी समिति द्वारा मांगी जाएं।

भांडागरिक द्वारा उपरोक्तानुसार वांछित जानकारी या विवरणी न देने की स्थिति में मंडी अधिनियम की धारा 23 के सभी प्रावधान प्रभावशील होंगे।

(9) मंडी फीस के उद्ग्रहण एवं अभिलेखों का संधारण के लिए मैनुअल के अध्याय - छः का अनुसरण किया जाएगा।

(10) अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (6) के अंतर्गत मंडी फीस चुकाई गई कृषि उपज के निर्गमन के लिए **प्ररूप - नौ** में मंडी समिति द्वारा अनुज्ञापत्र जारी किया जाएगा।

ई-अनुज्ञा प्रणाली प्रवर्त होने के उपरांत व्यापारियों एवं मंडी कर्मचारियों द्वारा ई-अनुज्ञा पोर्टल से ऑनलाईन अनुज्ञापत्र जारी किए जा रहे है। ऑनलाईन ई-अनुज्ञापत्र जारी होने पर क्रेता व विक्रेता व्यापारियों के साथ ही जारीकर्ता मंडी तथा जिस मंडी के लिए अनुज्ञापत्र जारी किया गया है, उन मंडियों के सचिवों को अनुज्ञापत्र पोर्टल पर उपलब्ध हो जाता है। ऐसे में क्रेता व्यापारी द्वारा मंडी क्षेत्र में कृषि उपज आयात करने के चौदह दिवस के भीतर ई-अनुज्ञा पोर्टल पर ऑनलाईन पुष्टि करने पर आयातित मंडी के सचिव द्वारा, संबंधित ई-अनुज्ञा पत्र को व्यापारी द्वारा मंडी में प्रस्तुत होना मान्य करते हुए, उसे ई-अनुज्ञा पोर्टल पर सत्यापित किया जाएगा और संबंधित क्रेता व्यापारी को पृथक से मंडी में आयातित कृषि उपज से का चौदह दिवस के भीतर ऑफलाइन अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

यदि ई-अनुज्ञा पत्र से मंडी में आयातित कृषि उपज की क्रेता व्यापारी द्वारा ई-अनुज्ञा पोर्टल पर चौदह दिवस के भीतर पुष्टि नहीं की जाती है तो मंडी अधिनियम की धारा 19-ख के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आयातित मंडी समिति द्वारा आवश्यकता होने पर मंडी अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत उक्त आयातित कृषि उपज का भौतिक सत्यापन कर सकेगी।

ई-अनुज्ञा पत्र की एक प्रति (हाई कॉपी) कृषि उपज के परिवहन के समय वाहन के साथ

गंतव्य तक रखी जाएगी।

गंतव्य यदि प्रदेश के बाहर स्थित है तब सीमा जांच चौकी पर या अन्य निर्धारित व्यवस्था के माध्यम से निगर्मित की जा रही कृषि उपज का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। निर्यात होने वाली कृषि उपज का मंडीवार एवं व्यापारीवार रिकार्ड डिजीटल रखा जाएगा।

(क) अनुज्ञापत्र जारी करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएं कि संबंधित द्वारा विक्रेताओं को पूर्ण भुगतान कर दिया गया है अर्थात् उसके विरुद्ध किसी विक्रेता की भुगतान न होने संबंधी शिकायत लंबित नहीं है। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाएं कि निर्गमित की जाने वाली कृषि उपज पर देय मंडी फीस निराश्रित सहायता राशि का भुगतान कर दिया गया है। यदि मंडी फीस पक्ष में जमा होना है किन्तु इसके पूर्व ही कृषि उपज का निर्गमन किया जाना है तब निर्गमन के पूर्व फीस जमा करा ली जाएगी एवं इसका उल्लेख पाक्षिक विवरण में किया जाएगा।

परंतु यदि गंतव्य प्रदेश के बाहर का है तो निर्गमनकर्ता द्वारा अधिकतम 72 घंटे की कालावधि में अधिसूचित कृषि उपजों का परिवहन किया जाकर अनुज्ञापत्र संबंधित सीमा जांच चौकी पर प्रस्तुत / जमा करना अनिवार्य है।

नियत कालावधि के उपरांत अधिसूचित कृषि उपज के सीमा जांच चौकी से निर्गमन हेतु निर्गमनकर्ता को संबंधित मंडी समिति (जिसके मंडी क्षेत्र में संबंधित जांच चौकी स्थापित है) के समक्ष परिवहन में विलंब के कारणों को प्रमाणित करते हुये आवश्यक दस्तावेज सहित आवेदन प्रस्तुत कर संबंधित अनुज्ञापत्र के पृष्ठ (पीछे) भाग पर निर्गमन की पुनः स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। संबंधित मंडी सचिव विलंब के लिए प्रस्तुत ऐसे

दस्तावेजों एवं प्रमाणों का परीक्षण कर कारण सही पाए जाने पर अनुज्ञापत्र के पृष्ठ (पीछे) भाग पर निर्गमन की अनुमति अंकित करते हुये हस्ताक्षर कर मुद्रा अंकित करेगा। जांच चौकी प्रभारी विलंब से परिवहन वाले ऐसे वाहनों की निर्गमन पंजी में प्रविष्टि के साथ विशेष रिमार्क अंकित कर हस्ताक्षर करेगा।

(ख) निर्गमनकर्ता अधिसूचित कृषि उपज को निर्गमित करने के लिए संशोधित **प्ररूप - दस** में तीन प्रति में घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा। इसकी एक प्रति कार्यालय में रखी जाकर दो प्रतियां अनुज्ञापत्र के साथ वापिस की जाएगी, इसमें से एक प्रति सीमा जांच चौकी पर अनुज्ञापत्र के साथ जमा करनी होगी।

(ग) **(एक)** अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (3) के खंड (दो) के उपखंड (ख) के अधीन मंडी क्षेत्र में व्यापारियों के बीच वाणिज्यिक संव्यवहार के अनुक्रम में विक्रेता द्वारा इस आशय की सूचना / घोषणा **प्ररूप - नौ-अ** में दी जाएगी कि अधिसूचित कृषि उपज पर देय मंडी फीस, मंडी क्षेत्र में पहले ही लग चुकी है।

(दो) कंडिका (एक) के अधीन जारी की जाने वाली सूचना/ घोषणा की पुस्तिका मंडी समिति द्वारा मुद्रित एवं प्रमाणित की जाएगी तथा लागत मूल्य पर अनुज्ञप्तिधारियों को प्रदाय की जाएगी। पूर्व में दी गई पुस्तिका वापस जमा करने का दायित्व जारीकर्ता का होगा। सूचना/ घोषणा पुस्तिका क्रमशः चार रंगो पीला, हरा, गुलाबी तथा सफेद में चार प्रतियों में मुद्रित कराई जाएगी। प्रथम तथा द्वितीय प्रति क्रेता को दी जाएगी जो परिवहन के समय चालक के साथ रहेगी। क्रेता प्रथम प्रति मंडी समिति को पाक्षिक विवरणी के साथ **प्ररूप - नौ-ब** में सूची सहित

प्रस्तुत करेगा तथा द्वितीय प्रति अपने अभिलेख में रखेगा। विक्रेता तृतीय प्रति अभिलेख में रखेगा तथा चतुर्थ प्रति विक्रेता बुक में शेष रहकर मंडी समिति के कार्यालय में विक्रेता द्वारा वापस जमा की जाएगी और विक्रेता द्वारा पक्ष में जारी किए गए सूचना/घोषणा पत्रों की पाक्षिक सूची **प्ररूप - नौ-ब** में पाक्षिक विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगा। क्रेता व्यापारी जब **प्ररूप - नौ-अ** में सूचना/घोषणा दंगा तब ऐसी उपज पर मंडी अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (6) के अंतर्गत मंडी समिति द्वारा अनुज्ञापत्र जारी किया जाएगा। व्यापारी द्वारा **प्ररूप - नौ-अ** में घोषणा की जाती है तो इसका कतई यह आशय नहीं है कि ऐसी घोषणा अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (6) में जारी की जाने वाली अनुज्ञा की आवश्यकता की पूर्ति करेगी। कृषि उपज, मंडी प्रांगण, मूल मंडी या मंडी क्षेत्र से तभी हटाई जाएगी जब अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (6) तथा उपविधि 2000 की कंडिका 20(13) के अनुसार अनुज्ञापत्र जारी हो चुका हो ।

(तीन) मंडी सचिव क्रेता/विक्रेता द्वारा पाक्षिक विवरणी के साथ जमा किए गए उक्त सूचना / घोषणा पत्रों की सूची का व्यापारीवार अभिलेख संधारण करेगा तथा व्यापारियों को जारी या व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत अनुज्ञापत्रों तथा पाक्षिक विवरणी में दर्शायी गई कृषि उपजों की खरीदी बिक्री तथा शेष स्कंध एवं अन्य अभिलेखों से उसका मिलान (क्रास चेक) एवं परीक्षण कर यह सुनिश्चित करेगा कि अनुज्ञप्तिधारी क्रेता/विक्रेता द्वारा प्रस्तुत / जारी सूचना/ घोषणा पत्र में उल्लेखित देय मंडी फीस का भुगतान वास्तव में मंडी समिति को हो चुका है तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत सूचना / घोषणा पत्र सत्य तथा सही है। क्रेता एवं विक्रेता **प्ररूप - नौ-ब** में प्रस्तुत की गई सूची की पंजी का भी संधारण करेगें जो लेखा सत्यापन/ मंडी फीस निर्धारण के समय मंडी सचिव के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(चार) मंडी सचिव द्वारा यदि परीक्षण में यह पाया जाता है कि धारा 19 के उपबंधों के अधीन देय मंडी फीस का भुगतान नहीं किया गया है / नहीं हुआ है तो संबंधित विक्रेता, जिसने मंडी फीस भुगतान संबंधी सूचना/ घोषणा जारी की है, से मंडी समिति द्वारा धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन दांडिक मंडी फीस की वसूली की जाएगी तथा ऐसे अनुज्ञप्तिधारक की अनुज्ञप्ति रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगी।

(11) मंडी फीस, दांडिक प्रावधान :-

कृषि उपज को मंडी फीस भुगतान के बिना बेच दिया जाएं अथवा मंडी क्षेत्र के बाहर से वाणिज्यिक संव्यवहार के अनुक्रम में क्रय करके लाई गई कृषि उपज को उस मंडी क्षेत्र के अनुज्ञापत्र को प्रस्तुत किए बगैर, जिस मंडी क्षेत्र की कृषि उपज लाई गई है अथवा ऐसी कृषि उपज पर मंडी फीस के भुगतान के बगैर कृषि उपज को बेच दिया जाएं या प्रसंस्करण या विनिर्माण कर लिया जाएं तो ऐसी दशा में यथास्थिति कृषि उपज के मूल्य के 5 गुने मूल्य पर अथवा प्रसंस्कृत या विनिर्मित पदार्थ के 5 गुना बाजार मूल्य पर मंडी फीस उदग्रहित तथा वसूल की जाएगी।

(12) प्रवेश शुल्क :-

मंडी अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (7) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रांगण में प्रवेश करने वाले ऐसे वाहन जो कि किराया (भाड़ा) पर चलते हो, उनसे न्यूनतम निम्न दरों से प्रवेश शुल्क वसूल किया जाएगा, मंडी बढ़ा सकेगी।

क्र	वाहन का प्रकार	प्रतिदिन प्रवेश शुल्क	मासिक प्रवेश शुल्क	वार्षिक प्रवेश शुल्क
01	बड़ा ट्राला	₹20.00	₹500.00	₹5500.00
02	ट्रक	₹10.00	₹250.00	₹2750.00
03	मेटाडोर एवं अन्य छोटे वाहन	₹5.00	₹125.00	₹1375.00

ट्रेक्टर, बैल गाड़ी, हाथ ठेला तथा साईकिल प्रवेश शुल्क से मुक्त होंगे, परंतु किसी भी परिवहन के साधन से मंडी प्रांगण में लाई गई कृषि उपज की आवक की प्रवेश पर्ची जारी करना अनिवार्य होगा।

(13) व्यापारी द्वारा विक्रय की गई प्रत्येक कृषि उपज के निर्गमन के पूर्व अनुज्ञापत्र प्राप्त करना आवश्यक है। मंडी फीस के भुगतान का प्रमाण मात्र अनुज्ञापत्र होगा। किसी अन्य अभिलेख को मंडी फीस भुगतान का प्रमाण नहीं माना जाएगा।

21. अभिलेखों की जांच :-

(1) अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत मंडी समिति का सचिव किसी भी कृत्यकारी के द्वारा अधिसूचित कृषि उपज के व्यापार से संबंधित अभिलेख अपने कार्यालय में लिखित आदेश द्वारा जांच हेतु में बुला सकेगा;

(क) आदेश **प्ररूप - तेरह** में जारी किया जा सकेगा।

(ख) निर्धारित दिनांक, स्थान एवं समय पर आदेशानुसार अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जाने अथवा गलत अभिलेख प्रस्तुत किए जाते है तो अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

(ग) उपरोक्त आदेश में अभिलेख प्रस्तुत करने की अवधि आदेश जारी करने के एक सप्ताह बाद की होगी। यदि किसी कारणवश अभिलेख प्रस्तुतकर्ता को अभिलेख प्रस्तुत करने में कोई कठिनाई है तो वह आगामी सप्ताह की कोई तारीख चाहता है तो उसे एक मौका दिया जाएगा।

(घ) **जांच हेतु अधिकतम तीन पूर्ववर्ती वर्षों के अभिलेख बुलाए जा सकेंगे।**

(ङ) जांच हेतु अभिलेख प्रस्तुत किए जाने के 30 दिन में जांच निष्कर्ष का उपयुक्त आदेश सचिव द्वारा जारी किया जाएगा।

(च) कंडिका (ङ) के अंतर्गत जारी किए गए आदेश से दो वर्ष के भीतर पर्याप्त एवं सुदृढ़ आधारों पर क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थ संयुक्त संचालक / उपसंचालक, अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत पुनः सत्यापन कर सकेगा।

परंतु इसके लिए धारा 20 के अंतर्गत जारी किए जाने वाले आदेश में ऐसे स्पष्ट कारणों का उल्लेख करना अनिवार्य होगा जिनके की आधार पर पुनः सत्यापन

किया जाना आवश्यक पाया गया है।

(2) प्रत्येक वर्ष अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रत्येक व्यापारी/ प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता/पक्का आढ़तियां 30 अप्रैल के पूर्व, 31 मार्च को समाप्त हुये पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान उसके द्वारा या उसके माध्यम से अधिसूचित कृषि उपज के क्रयविक्रय का विवरण **प्ररूप - चौदह-क, चौदह-ख एवं चौदह-ग** में प्रस्तुत करेगा।

(3) **मंडी समिति के सचिव द्वारा उसी वित्तीय वर्ष के दौरान उपविधि 21(2) के अंतर्गत प्रस्तुत वार्षिक विवरण का सत्यापन व्यापारी/ प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता द्वारा संधारित खाता (खतौनी/लेजर) एवं अन्य अभिलेख से अनिवार्य रूप से किया जाएगा।** खाते के अनुसार कृषि उपज के कुल क्रय मूल्य पर मंडी फीस निर्धारित करते हुए क्रेता को यह दर्शाने का अवसर दिया जाएगा कि इस राशि पर मंडी फीस किन-किन आधारों पर देय नहीं है। क्रेता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का सत्यापन, मंडी समिति को प्रस्तुत अनुज्ञापत्रों के मिलान एवं जमा की गई मंडी फीस से किया जाकर सचिव अपनी टीप अंकित करेगा।

22. अवशेष फीस का निर्धारण :-

(1) उपविधि कंडिका 21 के प्रावधानों का पालन करते हुए अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत वार्षिक विवरण प्राप्त होने के बाद मंडी समिति के अभिलेखों के आधार पर, सचिव द्वारा सत्यापन किया जाएगा, तत्पश्चात् धारा 20 की कार्यवाही के अंतर्गत व्यापारी के खाते (लेजर) से कुल खरीद मूल्य का मिलान कर सचिव अपनी टीप अंकित करेगा। अभिलेख प्रस्तुत नही होने की दशा में अथवा गलत अभिलेख प्रस्तुत होने की दशा में, यथास्थिति सचिव निम्नानुसार रीति में उद्गृहित होने वाली फीस का निर्धारण करेगाः-

(क) विगत वर्ष में क्रय की गई समस्त कृषि उपजों के मूल्य पर, निर्धारित दर से मंडी फीस जोड़कर अवशेष का निर्धारण किया जाएगा।

(ख) अनुज्ञापत्र प्रस्तुत किए बगैर या मंडी शुल्क भुगतान किए बगैर कृषि उपज को बेचा गया हो अथवा प्रसंस्कृत या विनिर्मित किया गया हो तो यथा स्थिति कृषि उपज के 5 गुने मूल्य पर एवं प्रसंस्करण या विनिर्माण के मामले में प्रसंस्कृत या विनिर्मित पदार्थ के 5 गुने मूल्य पर मंडी फीस के साथ 24 प्रतिशत की दर से ब्याज जोड़कर अवशेष का निर्धारण किया जाएगा।

(ग) विक्रय कर विभाग अथवा आयकर विभाग अथवा अन्य स्त्रोतों से कृषि उपज के क्रय-विक्रय की जानकारी संकलित करके कुल मूल्य पर मंडी फीस के साथ 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज जोड़कर अवशेष का निर्धारण किया जाएगा।

23. निरीक्षण की व्यवस्था :-

(1) यथा स्थिति प्रदेश के बाहर से लायी जाने वाली अथवा बाहर ले जायी जाने वाली कृषि उपज / मूल मंडी या मंडी क्षेत्र के बाहर से लायी जाने वाली या बाहर ले जायी जाने वाली कृषि उपज पर देय मंडी फीस/निराश्रित सहायता राशि के भुगतान संबंधी

निरीक्षण के लिए प्रबंध संचालक के निर्देशानुसार उपयुक्त स्थानों पर निरीक्षण चौकियों के साथ पथ अवरोध (बैरियर) स्थापित किए जाएंगे।

(2) अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कृषि उपज से लदे वाहनों को मंडी क्षेत्र के किसी भी स्थान अथवा मंडी क्षेत्र के सीमा पर रोक कर, मंडी निरीक्षकों अथवा सहायक निरीक्षकों द्वारा, मंडी क्षेत्र में / मंडी क्षेत्र से परिवहन की जा रही कृषि उपज के संबंध में अनुज्ञापत्र में उल्लेखित मात्रा की जांच करेगा। इस प्रकार की गई जांच के विवरण **प्ररूप - सत्रह** में दो प्रतियों में अभिलिखित किए जाएंगे। जांच प्रतिवेदन प्ररूपों की 50 प्रति की पुस्तिका मंडी समिति द्वारा निरीक्षणकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाएंगी। निरीक्षणकर्ता द्वारा उसी दिन जांच प्रतिवेदन मंडी फीस शाखा को प्रदत्त की जाएगी।

(3) उपरोक्त खंड (1) के अंतर्गत स्थापित निरीक्षण चौकियों पर आगमन पंजी **प्ररूप - पंद्रह** में एवं निर्गमन पंजी **प्ररूप - सोलह** में संधारित की जाएगी। इन पंजियों में दर्ज जानकारी आगामी कार्य दिवस में संबंधित मंडी समिति के कार्यालय में प्राप्त करने की कार्यवाही की जाएगी एवं इनका व्यवस्थित अभिलेख संधारित किया जाएगा।

24. मंडी प्रांगण में कृषि उपज की नाप तौल एवं उपकरणों का रख-रखाव :-

(1) कृषि उपज की भरती मानक आकार के खाली बोरो में की जाएगी एवं मंडी समिति द्वारा जिंसवार निर्धारित वजन की कृषि उपज बोरों में भरी जाएगी।

(2) अधिसूचित कृषि उपज की तौल के लिए वारदानों के समान भार का वजन बोरों में से काटा जाएगा।

(3) समस्त अधिसूचित कृषि उपज की तौल केवल इलेक्ट्रानिक तौल कांटों से ही की जाएगी।

(4) एक दिन में क्रय की गई कृषि उपज को, क्रेता द्वारा अपने स्कंध में, उस दिन की पूरी तौल हो जाने पर ही मिलाया जाएगा अन्यथा नहीं।

(5) कृषि उपज की तौल में अनियमितता (कमी या वृद्धि) का दायित्व तुलैया का होगा। तौल में अधिक या कमी पाये जाने पर उसकी अनुज्ञप्ति निलंबित या रदद् की जाएगी।

(6) **(अ)** अधिसूचित कृषि उपजों की तौल मंडी प्रांगणों / उपमंडी प्रांगणों अथवा समिति द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किए गए किसी अन्य स्थानों पर स्थापित एवं नापतौल विभाग द्वारा प्रमाणित इलेक्ट्रानिक तौलकांटों से भी की जा सकेगी। तौल का कार्य सचिव, कृषि उपज मंडी समिति द्वारा अधिकृत / आदेशित व्यक्ति के द्वारा ही संपादित किया जाएगा।

(ब) इलेक्ट्रानिक तौलकांटे पर सर्वप्रथम कृषि उपज से भरे वाहन का तौल किया जाएगा। तत्पश्चात् उस खाली वाहन की तौल की जाएगी। पूर्व में किए गए भरे वाहन के तौल में से खाली वाहन का वजन घटाकर शेष वजन कृषि उपज का शुद्ध वजन माना जाएगा। संबंधित कृषि उपज के स्वामी को उक्त तौल की पर्ची दी जाएगी, जिस पर तौल करने वाले अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर रहेगें।

(स) कृषि उपज के वजन में तौल या माप के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में संबंधित कृषि उपज मंडी समिति के सचिव का निर्णय विवादित पक्षों को मान्य होगा।

(7) निरीक्षण के समय अधिक मात्रा में पाई गई कृषि उपज को निरीक्षणकर्ता द्वारा अभिग्रहित किया जाएगा एवं वह आगामी दिवस में खुले घोष विक्रय में बेच दी जाएगी। किसी विशिष्ट

विक्रेता की शिकायत के आधार पर निरीक्षण किया गया है तब शिकायतकर्ता को उसकी शिकायत के अनुसार कृषि उपज वापिस की जाएगी।

(8) **(1)** मंडी प्रांगण में नियमन व्यवस्था हेतु नियुक्त कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन तौल प्रारंभ होने के पूर्व रैंडम तौल पर मंडी/बी.ओ.टी./ व्यापारियों के इलेक्ट्रानिक तौल कांटो/ वेब्रिज का संबंधित पक्षकारों की उपस्थिति में निरीक्षण किया जाएगा तथा निरीक्षण की कार्यवाही को निरीक्षण पंजी में दर्ज कर उपस्थित पक्षकारो के हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगें।

(2) नापतौल विभाग के प्रचलित नियमों के तहत मंडी प्रांगण में उपयोग होने वाले समस्त इलेक्ट्रानिक तौल कांटो/ वेब्रिज का सत्यापन (स्टांपिंग) कराया जाना अनिवार्य होगा।

25. मंडी प्रांगण की व्यवस्था :-

कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय मैनुअल के अध्याय - छः के अनुसार मंडी प्रांगण की व्यवस्था की जाएगी।

26. मंडी क्षेत्र के कृत्यकारियों के पारिश्रमिक :-

मंडी प्रांगण में कार्यरत हम्मालों एवं तुलावटियों के पारिश्रमिक दरों का निर्धारण मंडी समिति (जब वह निर्वाचित हो) के कार्यक्षेत्र में ही रहेगा।

(क) मंडी क्षेत्र के माननीय विधायकगण - अध्यक्ष
(क्षेत्र में एक से अधिक संख्या होने पर आपसी सहमति से समिति की अध्यक्षता करेंगे व शेष सदस्य होंगे)

(ख) जिला पंचायत कृषि उपसमिति के अध्यक्ष - सदस्य

(ग) जनपद अध्यक्ष - सदस्य

(घ) स्थानीय व्यापारी एसोशियेशन का अध्यक्ष - सदस्य

(ङ) मंडी के अध्यक्ष/भारसाधक अधिकारी - सदस्य

(च) मंडी सचिव - सदस्य संयोजक

परंतु निर्वाचित समिति के कार्यकाल में केवल मंडी समिति ही पारिश्रमिक संबंधी निर्णय लेगी।

अध्याय - पांच
मंडी प्रांगण के बाहर अन्य स्थान पर अधिसूचित कृषि उपज के क्रय-विक्रय का विनियमन

27. मंडी प्रांगण के बाहर अधिसूचित कृषि उपज क्रय करने हेतु विशिष्ट अनुज्ञप्ति :-

(1) जो भी व्यक्ति फर्म अथवा संस्था किसी मंडी समिति के मंडी क्षेत्र में मंडी प्रांगण के बाहर अधिसूचित कृषि उपज का क्रय करना चाहता है उसे मंडी समिति से इस उद्देश्य के लिए पृथक से अनुज्ञप्ति प्राप्त करना होगी।

(2) अनुज्ञप्ति विशिष्ट कृषि-उपज के लिए ही दी जाएगी।

परंतु एक ही अनुज्ञप्तिधारी को एक से अधिक कृषि उपज क्रय करने की अनुमति दी जा सकेगी;

परंतु यह और भी कि मंडी क्षेत्र में मंडी प्रांगण के बाहर अधिसूचित कृषि उपज का क्रय करने हेतु अनुज्ञप्ति उसी व्यक्ति को दी जाएगी जो कि वित्तीय वर्ष में संलग्न अनुसूची के कॉलम 3 में वर्णित मात्रा से अधिक मात्रा में अधिसूचित कृषि उपज क्रय करने के लिए वचनबद्ध हो।

28. विशिष्ट अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन की प्रक्रिया :-

अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए प्ररूप - पांच-द में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ 10,000/- रूपए का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।

29. विशिष्ट अनुज्ञप्ति हेतु प्रतिभूति :-

आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्ररूप - छः-अ में प्रस्तुत घोषणा पत्र में घोषित दैनिक क्रय क्षमता के अनुसार एक दिन के अधिकतम् खरीदी मूल्य के बराबर अमानत/प्रतिभूति की राशि की सावधि (एफडीआर) जो आहरण के लिए आवेदक द्वारा मंडी समिति के पक्ष में हस्ताक्षरित हो मंडी समिति के पक्ष में जमा कराई जाएगी। आवेदक द्वारा धारा 37 के उपबंधों के अधीन विक्रेता को अधिसूचित कृषि उपजों का भुगतान न करने की स्थिति में समिति द्वारा किसी भी समय इस अमानत / प्रतिभूति राशि का आहरण कर विक्रेता के बकाया भुगतान की पूर्ति की जाएगी।

परंतु मध्यप्रदेश शासन के उपक्रम जो मंडी प्रांगण के बाहर क्रय केंद्र स्थापित कर अधिसूचित कृषि उपज क्रय करना चाहते है के लिए आवेदन पत्र के साथ अमानत / प्रतिभूति की राशि मंडी समिति के पक्ष में जमा कराना अनिवार्य नहीं रहेगा, बशर्ते कि ऐसा शासकीय उपक्रम किसी भी स्थिति में मंडी समिति एवं मंडी बोर्ड का व्यतिक्रमी न हो।

परंतु यह और भी कि ऐसे शासकीय उपक्रम को अधिसूचित कृषि उपजों के विक्रेताओं को भुगतान के संबंध में अधिनियम 37 के उपबंधों का यथावत पालन करना होगा।

30. मंडी समिति द्वारा विशिष्ट अनुज्ञप्ति की स्वीकृति :-

अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त आवेदन पर विचार उपरांत मंडी क्षेत्र में क्रय केंद्रों के उल्लेख के साथ **प्ररूप - आठ-अ** में मंडी समिति द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी। आवेदक द्वारा **प्ररूप - पांच-द** में क्रय केंद्र के रुप में प्रस्तावित स्थल का मंडी समिति द्वारा निरीक्षण कर क्रय केंद्रों के स्थान का निर्धारण किया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित किया जाने वाला क्रय केंद्र आवेदक के प्रसंस्करण या विनिर्माण संयंत्र अथवा उसके मंडी प्रांगण परिसर से भिन्न मंडी क्षेत्र के किसी भी स्थान पर होगा। क्रय केंद्र के सुचारु संचालन हेतु समन्वय व नियंत्रण की दृष्टि से विचार उपरांत मंडी समिति आवश्यक संख्या में क्रय केंद्रों की स्थापना हेतु अनुमति देगी।

परंतु जिस ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय के कार्यरत क्षेत्र में जहां मंडी प्रांगण या उपमंडी प्रांगण स्थित है, उसकी सीमा से न्यूनतम तीन किलोमीटर के भीतर तथा आवेदक के प्रसंस्करण या विनिर्माण संयंत्र से एक किलोमीटर से कम दूरी के भीतर क्रय केंद्र स्थापित करने हेतु विशिष्ट अनुज्ञप्ति नहीं दी जाएगी। सब्जी, फल तथा फूलों के मामलों में यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा तथापि अधिनियम की धारा 5(1) के अधीन अधिसूचित ऐसे "मंडी प्रांगण" या "उपमंडी प्रांगण" जो कृषि उपज के विपणन की दृष्टि से निष्क्रिय है और जहां अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अधिसूचित कृषि उपजों का सामान्य क्रय-विक्रय भी निष्पादित नहीं हो रहा है ऐसे निष्क्रिय मंडी प्रांगण या उपमंडी प्रांगण में "क्रय केंद्र" की स्थापना की अनुमति उपविधि कंडिका 27 से 36 के प्रावधानों के अध्यधीन मंडी समिति द्वारा निम्न शर्तों के अधीन व्यक्ति फर्म अथवा संस्था से प्रदान की जा सकेगी।

(1) मंडी प्रांगण या उपमंडी प्रांगण में उपलब्ध मंडी समिति की अधोसंरचनाओं का किराया नियमानुसार विशिष्ट अनुज्ञप्तिधारक को मंडी समिति को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

(2) मंडी प्रांगण या उपमंडी प्रांगण में अधिसूचित कृषि उपजों की बिक्री खुली नीलामी से प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर नियमित रूप से प्रारंभ होने पर मंडी समिति द्वारा "क्रय केंद्र" की स्वीकृति रद्द की जा सकेगी। यदि विशिष्ट

अनुज्ञप्तिधारक नीलामी के माध्यम से मंडी प्रांगण या उपमंडी प्रांगण में कृषि उपजों की खरीदी करते है तो "क्रय केंद्र" की स्थापना की स्वीकृति यथावत रखने पर मंडी समिति द्वारा विचार किया जा सकता है।

परंतु यह भी कि धारा 32(क) के अधीन मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिए विशेष अनुज्ञप्ति) नियम 2009 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अधीन स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्तिधारकों को मंडी समिति द्वारा उपविधि की कंडिका (27) के अधीन पृथक से कोई नवीन विशिष्ट अनुज्ञप्ति मंडी क्षेत्रों में किसी भी क्रय केंद्र की स्थापना के लिए प्रदान नहीं की जाएगी। यदि मंडी समिति द्वारा पृथक से कोई विशिष्ट अनुज्ञप्ति "क्रय केंद्र" स्थापना के लिए पूर्व में स्वीकृत की गई है तो ऐसी विशिष्ट अनुज्ञप्ति को निरस्त करने के पश्चात् मंडी समिति द्वारा विशेष अनुज्ञप्ति के अंतर्गत क्रय केंद्रों की अनुमति देने बावत अनापत्ति दी जाएगी।

धारा 32 एवं उपविधि की कंडिका 18(5) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुये कंडिका 27(2) के अधीन मंडी समिति द्वारा विशिष्ट अनुज्ञप्ति स्वीकृत दिनांक से पांच वर्ष के लिए होगी। प्रारंभ में अनंतिम अनुज्ञप्ति एक वर्ष की कालावधि के लिए होगी। अनुज्ञप्तिधारक इन क्रय केंद्रों में उपविधि की कंडिका 31(1) में यथाविनिर्दिष्ट सुविधाओं का सृजन एक वर्ष की कालावधि में करेगा। अनुज्ञप्तिधारकों द्वारा इन निर्देशों का पालन नहीं करने पर ऐसी अनुज्ञप्तियों की कालावधि समाप्त होने के पश्चात नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। उपविधि की कंडिका 31(1) में यथाविनिर्दिष्ट सुविधाओं का सृजन कर लेने की स्थिति में उसे आगामी चार वर्ष के लिए विशिष्ट अनुज्ञप्ति दी जाएगी।

31. मंडी प्रांगण के बाहर क्रय केंद्रों पर विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराना :-

(1) अनुज्ञप्तिधारी को मंडी क्षेत्र में मंडी समिति की पूर्व अनुमति से ही निर्धारित स्थलों पर ही कृषि उपज क्रय करने की अनुमति होगी। इन स्थलों को "क्रय केंद्र" कहा जाएगा। क्रय केंद्र पर तौल की मानक व्यवस्था तथा कृषकों के लिए विक्रेता को उसी दिन मूल्य भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व अनुज्ञप्तिधारक का होगा। क्रय केंद्र पर मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिए विशेष अनुज्ञप्ति) नियम 2009 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 10 के अनुसार आधारभूत अधोसंरचनाओं एवं सुविधाओं का सृजन करने का उत्तरदायित्व भी अनुज्ञप्तिधारक का होगा।

(2) अधिसूचित कृषि उपज का मंडी प्रांगण में गत दिवस उपलब्ध हुआ न्यूनतम व अधिकतम मूल्य क्रय केंद्र पर सहज दृष्टिगोचर स्थल पर कम से कम 3'×2' आकार का सूचना बोर्ड लगाकर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। घोषित समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर किसी भी अधिसूचित कृषि उपज का क्रय नहीं किया जाएगा।

(3) क्रय केंद्र पर इलेक्ट्रानिक तौलकांटा स्थापित करना होगा। ऐसे तौल कांटे का ऑपरेटर मंडी समिति का लायसेंसी होगा जिसे तुलैया कहा जाएगा। **प्ररूप - तीन** में क्रेता द्वारा उपलब्ध कराई गई पुस्तिका से तुलैया द्वारा तौल पर्ची जारी की जाएगी तुलाई हेतु समस्त पारिश्रमिक क्रेता द्वारा देय होगा। **प्ररूप - तीन** में क्रेता द्वारा उपलब्ध कराई गई तौल पुस्तिका से तुलैया द्वारा तौल पर्ची जारी की जाएगी।

32. विशिष्ट अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियतकालिक विवरणी प्रस्तुत करना :-

अनुज्ञप्तिधारी को क्रय केंद्रवार क्रय की गई कृषि उपज की साप्ताहिक जानकारी मंडी समिति को **प्ररूप - ग्यारह-ग** में सप्ताह पूर्ण होने के 3 दिन में अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी होगी।

33. क्रय केंद्रों पर अधिसूचित कृषि उपजों के परिवहन एवं निर्गमन की व्यवस्था पर नियंत्रण :-

(1) अनुज्ञप्तिधारी को क्रय केंद्र पर क्रय करने के दिन एवं समय की पूर्व सूचना मंडी समिति को देना होगी। निर्धारित दिन से भिन्न दिनों में क्रय नहीं किया जाएगा।

(2) क्रय केंद्र पर कृषकवार क्रय की गई कृषि उपज एवं उसके परिवहन के संबंध में **प्ररूप - अठारह** में पंजी संधारित करना होगी एवं इसे मंडी समिति के अधिकारी/कर्मचारियों के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा।

(3) प्रत्येक क्रय केंद्र पर मंडी समिति द्वारा एक केंद्र प्रभारी जो सहायक उपनिरीक्षक से निम्न स्तर का न हो एवं आवश्यकतानुसार अन्य स्टॉफ भी तैनात किया जाएगा | क्रय केंद्र पर प्रभावी नियमन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र प्रभारी मंडी समिति के प्रति उत्तरदायी होगा। क्रय केंद्र प्रभारी प्राप्त शिकायतों को शिकायत पंजी में दर्ज एकराने के उपरांत जांच कर उनका निराकरण करेगा। प्राप्त शिकायतों के स्वरुप व उनके निराकरण की जानकारी क्रय केंद्र प्रभारी द्वारा मंडी समिति को उपलब्ध कराई जाएगी। किसी शिकायत संदर्भ पर क्रय केंद्र प्रभारी द्वारा किया गया निराकरण समाधानकारी प्रतीत न होने पर मंडी समिति आगे जांच करा सकेगी।

34. क्रय केंद्र पर अधिसूचित कृषि उपज के क्रय विक्रय की शर्त :-

क्रय-केंद्र पर एक दिन में एक कृषक/ उत्पादक (विक्रेता/कृषक) से क्रय की गई भिन्न-भिन्न कृषि उपजों एवं भिन्न-भिन्न दरों पर क्रय की गई कृषि उपज के संबंध में मंडी समिति द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को जारी किए गए प्रपत्रों में तीन प्रतियों में **सौदा पत्रक प्ररूप - दो-अ** तैयार करना होगा। सौदा पत्रक की एक प्रति विक्रेता/कृषक को, एक प्रति मंडी समिति को एवं एक प्रति अनुज्ञप्तिधारी को अपने पास संधारित करना होगा।

सौदा पत्रक में तय मूल्य एवं अनुज्ञप्ति अनुसार कृषि उपज की तौल मंडी समिति द्वारा इस बावत अनुज्ञप्तिधारी तुलैया से क्रय केंद्र पर ही कराना होगा एवं तौल अनुसार क्रय की गई

कृषि उपज के मूल्य का भुगतान क्रय उपरान्त उसी दिन नगद अथवा क्रास्ड चैक से करना होगा। अनुज्ञप्तिधारक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके खाते में आवश्यक धनराशि के अभाव में चेक वापिस होने की स्थिति निर्मित न हो। भुगतान के प्रमाणक के रूप में मंडी समिति द्वारा उपविधि 17(4) के अधीन **प्ररूप - चार** में जारी भुगतान पत्रक तीन प्रतियों में बनाया जाएगा। भुगतान पत्रक की एक प्रति विक्रेता/कृषक को, तथा एक प्रति अनुज्ञप्तिधारी को तुरंत दी जाएगी। भुगतान पत्रक की एक प्रति मंडी समिति को अगले दिन भेजी जाएगी। भुगतान पत्रक के साथ तौल पर्ची भी संलग्न करनी होगी।

35. क्रय केंद्रों से अधिसूचित कृषि उपज का निर्गमन एवं परिवहन :-

क्रय केंद्रों पर क्रय की गई समस्त अधिसूचित कृषि उपजों के परिवहन अथवा निर्गमन के पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 6 के अंतर्गत उपविधि कंडिका 20(10) के अनुसार **प्ररूप - नौ** में अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। क्रय केंद्र पर क्रय की गई समस्त अधिसूचित कृषि उपजों के विक्रेताओं को देय मूल्य एवं देय मंडी फीस तथा निराश्रित शुल्क के संपूर्ण भुगतान को सुनिश्चित करने के पश्चात ही मंडी समिति द्वारा नियुक्त क्रय केंद्र प्रभारी द्वारा अनुज्ञा पत्र जारी किया जाएगा।

36. क्रय केंद्रों पर क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज का भुगतान :-

कृषक / विक्रेता-सौदा अनुसार कृषि उपज का मूल्य प्राप्त न होने पर, मंडी समिति को 05 दिन के अंदर शिकायत कर सकेगा। अधिसूचित कृषि उपजों के क्रय-विक्रय से संबंधित किसी भी विवाद या शिकायत पर क्रय केंद्र प्रभारी दोनों पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर प्राप्त शिकायत एवं विवाद का निराकरण करेगा।

अध्याय-छः
कृषि विपणन पुरस्कार योजना

37. विनिर्दिष्ट मंडी प्रांगणों के बाहर अधिसूचित कृषि उपजों के अवैधानिक क्रय-विक्रय से होने वाले शोषण एवं क्षति से कृषकों को बचाने एवं विनिर्दिष्ट मंडी प्रांगण के बाहर अवैध व्यापार को नियंत्रित कर मंडी फीस के अपवंचन को रोकने हेतु मंडी क्षेत्र के कृषकों को अपनी अधिकाधिक कृषि उपज विनिर्दिष्ट मंडी प्रांगणों में खुली नीलामी पद्धति से प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर विक्रय करने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मंडी समिति द्वारा "कृषि विपणन पुरुस्कार योजना" को निम्नानुसार निर्धारित प्रक्रिया/शर्तो के अधीन प्रभावशील किया जा सकता है :-

(1) योजना की प्रक्रिया :-

उपरोक्त कृषि विपणन पुरुस्कार योजना को मंडी समिति में प्रभावशील करने के लिए संबंधित मंडी समिति को निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा:

(अ) योजना की स्वीकृति :-

कृषि विपणन पुरुस्कार योजना को प्रभावशील करने के पूर्व मंडी समिति अपने सम्मेलन में मंडी निधि की उपलब्धता तथा मंडी की आर्थिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कार्यसूची में प्रस्ताव रखकर विचार-विमर्श कर योजना को सर्व सम्मति से प्रभावशील करने का निर्णय लेगी।

(ब) योजना में विजेताओं को पुरुस्कार वितरण हेतु नगद अथवा कृषि यंत्रों, वस्तुओं एवं कृषि हेतु उपयोगी अन्य साधनों का (योजना की स्वीकृति राशि के अधीन) चयन कृषि उपज मंडी समिति द्वारा किया जाएगा।

(स) बजट प्रावधान - योजना हेतु मंडी समिति अपने बजट में पुरुस्कार मद हेतु राशि का प्रावधान नियमानुसार करेगी।

(द) लाटरी ड्रा हेतु मंडी समिति द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम एवं योजना के प्रचार प्रसार हेतु किए जाने वाले व्यय का प्रावधान भी मंडी समिति द्वारा बजट में ही पृथक मद स्थापित कर किया जाएगा एवं विधिवत स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

(2) योजना का स्वरूप :-

प्रांगण में कृषकों द्वारा अधिसूचित कृषि उपज विक्रय हेतु लाए जाने पर उन्हें अपनी कृषि उपज की एंट्री (प्रविष्टि) मंडी गेट पर प्रवेश पंजी में करवाकर प्रवेश पर्ची प्राप्त करनी होगी एवं अधिसूचित कृषि उपज को नीलामी द्वारा मंडी प्रांगण में विक्रय करवाना होगा।

अधिसूचित कृषि उपज के नीलामी में विक्रय के पश्चात् अनुबंधकर्ता कृषक द्वारा धारा-37(1) के अधीन मंडी कर्मचारी द्वारा जारी अनुबंध पर्ची धारा 37(2) एवं उपविधि कंडिका 17(4) के अधीन क्रेता व्यापारी द्वारा प्ररूप-चार में जारी भुगतान पत्रक सहित कृषि उपज मंडी समिति के कार्यालय में प्रस्तुत करने पर मंडी कार्यालय द्वारा सीरियल नंबर अंकित कर रिकार्ड में प्रविष्टि कर पृथक से एक भुगतान पत्रक जारी किया जाएगा जिस पर मंडी समिति के कर्मचारी के हस्ताक्षर एवं मुद्रा अंकित होगी। एक से अधिक अधिसूचित कृषि उपज विक्रय होने पर पृथक-पृथक भुगतान पत्रक मंडी समिति द्वारा जारी

किए जाएंगें। मंडी समिति द्वारा जारी भुगतान पत्रक की द्वितीय प्रति मंडी समिति के कार्यालय में सुरक्षित उपलब्ध रखी जाएगी। भुगतान पत्रक पर कृषक का पूरा नाम, वल्द, पूर्ण पता व उसके हस्ताक्षर अंकित होंगे। मंडी समिति द्वारा जारी भुगतान पत्रक प्रस्तुत करने पर ही विजेता कृषक को पुरुस्कार प्रदान किया जाएगा। भुगतान पत्रक गुम या नष्ट होने की स्थिति में मंडी समिति विजेता कृषक की पहचान प्राप्त करने हेतु नियमानुसार सभी आवश्यक विधिक राय एवं परामर्श तथा आवश्यक विधिक औपचारिकताएं पूर्ण कर विजेता से शपथपत्र प्राप्त करेगी। यदि मंडी समिति समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर विजेता कृषक की पहचान एवं की गई उक्त विधिक प्रक्रिया से पूर्णतः संतुष्ट होती है तो संबंधित कृषक को पुरुस्कार की राशि वितरित / भुगतान करने का निर्णय ले सकती है, परन्तु ऐसे प्रकरणों में मंडी समिति द्वारा की गई कार्यवाही एवं विजेता कृषक को पुरुस्कार की राशि का भुगतान / वितरण के पूर्व प्रबंध संचालक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

परंतु समर्थन मूल्य पर क्रय करने वाली राज्य सरकार अधिकृत संस्था पर किसानो के द्वारा विक्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज जिस पर मंडी समिति को देय मंडी फीस का उद्ग्रहण किया गया हो तथा संबंधित समर्थन मूल्य पर क्रय करने वाली संस्था द्वारा कृषक से अधिसूचित कृषि जिंस क्रय करने और उसे भुगतान करने की सत्यापित जानकारी मंडी समिति को प्रस्तुत की गई हो, ऐसे कृषकों को भी कृषि विपणन पुरुस्कार योजना में शामिल करते हुए इनामी कूपन मंडी समिति द्वारा जारी किए जाएंगे तथा इनके रिकार्ड का संधारण योजना की कंडिका-2 मे उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(3) योजना की पुरस्कार राशि :-

योजना की प्रति ड्रा पुरुस्कार राशि कृषि उपज मंडी समिति के प्रवर्गो (श्रेणी) अनुसार उनके सामने दर्शाई गई संख्या अनुसार निम्नानुसार होगी:-

क्र	मंडी का प्रवर्ग	कंडिका-4 में उल्लेखित तीन ड्रा के माध्यम से निकाले जाने वाले पुरुस्कारों की अधिकतम कुल राशि	कंडिका-4 में उल्लेखित बंपर ड्रा के पुरुस्कार में दी जाने वाली वस्तु का नाम / राशि (यह कंडिका-4 में उल्लेखित सामान्य तीन ड्रा से अतिरिक्त होगी)
1	'क'-प्रवर्ग	1,04,000.00	35 अश्व शक्ति का ट्रेक्टर
2	'ख'-प्रवर्ग	59,500.00	50 हजार रुपये मूल्य के कृषि यंत्र
3	'ग'-प्रवर्ग	39,000.00	50 हजार रुपये मूल्य के कृषि यंत्र
4	'घ'-प्रवर्ग	21,000.00	50 हजार रुपये मूल्य के कृषि यंत्र

क्र	मंडी का प्रवर्ग	बंपर पुरुस्कार की संख्या	प्रत्येक बंपर पुरुस्कार की निर्धारित राशि / दी जाने वाली वस्तु का नाम	प्रथम पुरुस्कार की संख्या	प्रत्येक पुरुस्कार की निर्धारित राशि	द्वितीय पुरुस्कारों की संख्या	प्रत्येक पुरुस्कार की निर्धारित राशि	तृतीय पुरुस्कारों की संख्या	प्रत्येक पुरुस्कार की निर्धारित राशि	चतुर्थ पुरुस्कारों की संख्या	प्रत्येक पुरुस्कार की निर्धारित राशि
1	क	01	35 अश्व शक्ति का ट्रेक्टर	01	21,000	02	15,000	03	11,000	04	5,000
2	ख	01	50 हजार रुपये मूल्य के कृषि यंत्र	01	15.000	02	8,000	03	5,500	04	3,000
3	ग	01	50 हजार रुपये मूल्य के कृषि यंत्र	01	10,000	02	6,000	03	3,000	04	2,000
4	घ	01	50 हजार रुपये मूल्य के कृषि यंत्र	01	5,000	02	3,000	03	2,000	04	1,000

(4) योजना का ड्रा :-

कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा कृषि विपणन पुरुस्कार योजना का ड्रा लाटरी द्वारा प्रत्येक वर्ष में तीन बार यथा राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) एवं बलराम जयंती (शासन द्वारा घोषित दिनांक) पर निकाले जाएंगे। ड्रा निकालने हेतु कृषि उपज मंडी समिति द्वारा 01 जनवरी से 31 जुलाई तक जारी भुगतान पत्रकों का ड्रा 01 अगस्त को व 01 मई से 15 अगस्त तक जारी भुगतान पत्रकों का ड्रा बलराम जयंती को तथा 16 अगस्त से 31 दिसंबर तक जारी भुगतान पत्रकों का ड्रा 26 जनवरी को निकाला जाएगा। बलराम जयंती को (शासन द्वारा

घोषित तिथि) को निकाले जाने वाले ड्रा के साथ ही बंपर ड्रा भी पृथक से निकाला जाएगा, जिसमें विगत वर्ष 16 अगस्त से वर्तमान वर्ष 15 अगस्त तक जारी भुगतान पत्रकों को शामिल कर ड्रा निकाला जाएगा। यदि किन्ही अपरिहार्य कारणवश बलराम जंयती को मंडी द्वारा ड्रा नहीं निकाला जा सका है तो यह ड्रा, आगामी ड्रा की तिथि, यथा 26 जनवरी को मंडी में जारी 01 मई से 15 अगस्त तक के भुगतान पत्रकों और 16 अगस्त से 31 दिसंबर से जारी भुगतान पत्रको के लिए तथा उपरोक्त उल्लेख अनुसार बंपर ड्रा (विगत वर्ष 16 अगस्त वर्तमान वर्ष 15 अगस्त तक जारी भुगतान पत्रक को शामिल कर) अलग-अलग निकाला जाएगा। योजना का ड्रा कृषि उपज मंडी समिति द्वारा मंडी क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर कृषकों, व्यापारियों, मंडी क्षेत्र

के प्रगतिशील कृषकों, जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में खोला जाएगा। योजना तथा लाटरी ड्रा निकाले जाने वाली तिथि का व्यापक प्रचार प्रसार मंडी समिति द्वारा किया जाएगा जिसकी सूचना मंडी समिति, नगर पालिका,

पंचायत, जनपद पंचायत तथा कलेक्टर कार्यालय के सूचना पटल पर सूचनार्थ चस्पा कराई जाएगी। यथा संभव ड्रा की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

कृषि विपणन पुरुस्कार योजना के लिए जारी आदेश दिनांक 28.01.2008 की कंडिका (उपरोक्त कंडिका-4 मे आदेश क्रमांक बोर्ड/यो/ गैर.तक/71/2014-15/3202 दिनांक 22.10.2014 जारी कर निम्नानुसार संशोधन किया गया-

> उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये प्रदेश की समस्त कृषि उपज मंडी समितियों को निर्देशित किया जाता है कि कृषि विपणन पुरुस्कार योजना के अंतर्गत कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा पुरुस्कार का ड्रा लॉटरी पद्धति द्वारा प्रत्येक वर्ष मे 02 बार 01 फरवरी से 31 जुलाई तक जारी भुगतान पत्रकों का ड्रा बलराम जयंती को तथा 01 अगस्त से 31 जनवरी तक जारी भुगतान पत्रकों का ड्रा नर्मदा जयंती पर निकाला जाएगा। यदि किसी कारणवश घोषित तिथि मे कृषि विपणन पुरुस्कार योजना के ड्रा नही निकाले जा सके तब ऐसी स्थिति मे योजना अनुसार ड्रा निकालने हेतु आगामी तिथि निर्धारित करने का अधिकार सचिव कृषि उपज मंडी समिति को प्रत्यायोजित किया जाता है। योजना की शेष शर्ते यथावत रहेगी। यह आदेश जारी दिनांक से प्रभावशील होगा।

(5) योजना के क्रियान्वयन एवं सुचारू संचालन हेतु उपसमिति का गठन :-

कृषि विपणन पुरुस्कार योजना को सुचारू एवं बेहतर ढंग से प्रभावशील/संचालन करने के लिए कृषि उपज मंडी समिति द्वारा नियमानुसार यदि आवश्यक हो तो ठहराव / प्रस्ताव पारित कर उपसमिति का गठन किया जा सकेगा, परन्तु योजना को

मंडी क्षेत्रों में सुचारू एवं बेहतर ढंग से प्रभावशील करने का पूर्ण दायित्व मंडी समिति के सचिव का रहेगा।

(6) अंतिम निर्णय का अधिकार :-

कृषि उपज मंडी समिति द्वारा प्रभावशील की गई कृषि विपणन पुरुस्कार योजना में उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद पावर अंतिम निर्णय का अधिकार कृषि उपज मंडी समिति को होगा, जो सभी पक्षों को मान्य करना अनिवार्य होगा।

(7) योजना में संशोधन / परिवर्तन का अधिकार :-

कृषि विपणन पुरुस्कार योजना में आवश्यकतानुसार किसी भी समय किसी भी प्रकार का संशोधन / परिवर्तन / रद्द अथवा दिशा निर्देश जारी करने का सर्वाधिकार प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड में सुरक्षित है। प्रबंध संचालक द्वारा योजना के संबंध में दिये गए निर्देशों का पालन करना प्रत्येक मंडी समिति के लिए अनिवार्य होगा।

अध्याय - सात
संविदा खेती के अधीन अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का विनियमन
संविदा कृषि का अनुबंध और आदर्श विशिष्टियां तथा शर्तें

38.

(1) प्रस्तावना -

संविदा कृषि, प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता तथा / या विपणन फर्मों, मंडी बिचौलियों तथा कृषकों के बीच बहुधा पूर्व निर्धारित मूल्यों पर कृषि उत्पादों के समर्थन तथा उत्पादन के लिए किया जाने वाला एक अनुबंध हैं। यह अनुबंध, स्पष्टतः कृषकों को, उदाहरणस्वरूप, आदानों का प्रदाय और तकनीकी सलाह का प्रावधान, क्रेता को सतत उत्पादन में सहारा देने के लिए समाहित रखता है। इन व्यवस्थाओं का आधार, कृषक की ओर से क्रेता द्वारा अवधारित मात्रा एवं गुणवत्ता मानकों पर विनिर्दिष्ट जिंस उपलब्ध कराने की वचनबद्धता तथा मंडी के पंजीकृत बिचौलियों की ओर से कृषकों के उत्पादन को सहारा देने तथा जिंस को क्रय करने की वचनबद्धता रहती है। इस प्रकार, संविदा कृषि, वितरण की जोखिम को प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता तथा उत्पादक के मध्य, वितरण का साधन है। अगला (उत्पादक) उत्पादन से जुड़ी जोखिम अपनाता है जबकि पहला (प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता) अंतिम उपज के विपणन से संबद्ध जोखिम उठाता हैं। कुछ आलोचकों के अनुसार-"संविदा कृषि", आर्थिक भूमंडलीकरण से जुड़ी हुई बुराईयों में से ही एक बुराई है। एक ओर तो छोटे पैमाने के कृषकों का असंगठित समूह है जिसके पास मौलभाव करने की बहुत कम शक्ति हैं तथा उत्पादकता बढ़ाने व व्यापारिक रूप से प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक बहुत ही थोड़े संसाधन हैं। वहीं दूसरी और कृषि व्यवसाय के शक्तिशाली उद्यमी है, जो आदान और तकनीकी सलाह के बदले सस्ते श्रमिकों का शोषण कर अपनी अधिकांश जोखिमों को प्राथमिक उत्पादकों को अंतरित (स्थानांतरित) कर देते हैं। आलोचक कहते हैं कि "संविदा कृषि" सारतः दो असमान पक्षों के बीच एक अनुबंध है और जो छोटे किसानों के विकास के बजाए उन्हें ऋणग्रस्त करने में अधिक संभाव्य है। पर ऐसा बहुत कम होता है। एक "खाद्य एवं कृषि संगठन मार्गदर्शिका" (एफ.ए.ओ. गाइड) " संविदा कृषिः उत्पादन के लिए भागीदारी" यह युक्ति देती है कि सुव्यवस्थित संविदा कृषि, लघु कृषि क्षेत्र को सलाह के विस्तृत संसाधनों, यंत्रीकरण, बीजों, उर्वरकों और साख तथा उपज के लिए प्रत्याभूत और लाभकारी मंडियों की प्रभावी कड़ी सिद्ध हुई है। यह एक दृष्टिकोण है जो कृषकों को आय बढ़ाने और प्रर्वतकों के लिए उच्चतर लाभ दे सकता है। जब कुशलता से आयोजित किया जाए एवं संभाला जाए तो संविदा कृषि दोनों पक्षों के लिए जोखिम एवं अनिश्चितता को कम कर सकती है और उत्पादक को अपने उत्पादन में मूल्यवर्धन का अवसर प्रदान करती है।

(2) संविदा कृषि के गुणः-

कृषकों के लिए प्रमुख लाभ यह है कि प्रवर्तक बहुधा पूर्व निर्धारित मूल्य पर

सामान्यतः विनिर्दिष्ट गुणवत्ता और मात्रा परिसीमा में उत्पादित समस्त उपज क्रय करने के लिए वचनबद्ध होगा। संविदाएं, कृषकों को प्रबंधकीय विस्तृत परिक्षेत्र, तकनीकी और विस्तार सेवाओं में प्रवेश उपलब्ध करा सकती है जो अन्यथा प्रकार से अप्राप्त होता है। छोटे पैमाने के कृषकगण बहुधा नई प्रौद्योगिकियों को अंगीकार करने के लिए अनिच्छुक होते हैं क्योंकि उनमें संभावित जोखिम और लागत अंतर्विष्ट होती है। संविदा कृषि में निजी कृषि व्यवसाय, सामान्यतः सुधरे हुये तरीके और प्रौद्योगिकियां प्रदाय करता है क्योंकि अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए कृषकों के उत्पादन वृद्धि में उसकी सीधी आर्थिक रुचि रहती है। बहुत से उदाहरणों में बड़ी कंपनियां, विनिर्दिष्टियों के अनुसार संविदा किए गए कृषकों को उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए अपना विस्तृत समर्थन प्रदाय करती हैं। संविदा

कृषि के माध्यम से कृषक सीखता है, कुशल होता है, जिसमें अभिलेख का रख-रखाव, रसायन और उर्वरक उपयोग करने के सुधरे तरीके और निर्यात मंडियों की मांग और गुणवत्ता का महत्व सम्मिलित होगा। अपनी फसल के लिए जो प्रतिफल कृषक खुली मंडी में प्राप्त करते हैं, वह प्रचलित मूल्यों और खरीददारों के साथ सौदा करने की क्षमता पर निर्भर है, किंतु संविदा कृषि कुछ सीमा तक मूल्य अनिश्चितता को पार कर सकती है। बहुधा, प्रवर्तक भुगतान किया जाने वाला मूल्य अग्रिम में बता देते हैं और ये अनुबंध में विनिर्दिष्ट किया जाता है।

संविदा कृषि व्यवस्था :-

(क) अन्यथा प्रकार से यदि प्रदाय व्यवस्था लगातार तरीके से उपलब्ध न हो तो कृषि प्रसंस्करण या विनिर्माण संयंत्र की सुविधा उत्पन्न करने से,

(ख) छोटे कृषकों से उपज को निर्यात कराकर, जो कि अन्यथा प्रकार से मांग वाली मंडियों में पहुंच बनाने लायक नहीं है,

(ग) ऊंची गुणवत्ता के उत्पादन को बढ़ावा देकर और अच्छे ढंग से रख-रखाव और छंटाई करके, इस प्रकार छोटी जोत के उत्पादन के मूल्य में वृद्धि करके, तथा

(घ) कृषकों और प्रसंस्करणकर्ताओं/विनिर्माता को आर्थिक मापदंड प्राप्त कराकर, जिससे कम लागत से उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर, मूल्य सवर्धित कर सकती है।

(3) संविदा कृषि में जोखिम के घटक :-

पैदा होने वाली नई, अपरिचित फसलें उगाने और मंडियों के लिए ऐसी प्रस्तुति में जो सदैव उनकी आशाओं के या उनके प्रर्वतकों की भविष्यवाणी के अनुकूल नहीं होगी, अनिश्चितता निहित रहती है। प्रभावहीन प्रबंधन अति उत्पादन की ओर ले जा सकता

है, इन्हीं प्रकरणों में प्रर्वतक, "क्रय को कम करने के उद्देश्य से गुणवत्ता मानक को प्रभावित करने के लिए प्रलोभित किए जाएं।" कृषकों की सबसे बडी जोखिम ऋणग्रस्तता है, जो उत्पादन समस्याओं, निर्बल तकनीकी सलाह, मंडी परिस्थितियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन या कंपनियों के संविदा का सम्मान करने की असफलता के कारण उत्पन्न होती है। प्रर्वतक के पक्ष में जोखिम ऐसे कृषकों के साथ व्यवहार करने से होती है, जो अपनी ओर से पारंपरिक स्वामियों के साथ भूमि का उपयोग करने के लिए समझौता कर लेते है। संविदा करने के पूर्व प्रर्वतक को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कम से कम संविदा अवधि तक भूमि के लिए पहुंच सुरक्षित हो । किन्तु अधिक गंभीर समस्या तब आती है जब कृषकगण संविदा भंग करते हैं और अपनी उपज वैकल्पिक मंडियों में बेच देते हैं, ऐसा कभी-कभी प्रचलित अधिक मूल्यों पर खुले बाजार में या प्रतिद्वन्दी प्रर्वतकों के उकसावे पर होता है।

(4) प्रबंधकीय व्यवस्थाएं :-

संविदा कृषि व्यवस्था को कृषि उद्योग और कृषकों के बीच भागीदारी के रूप में देखा जाना है। प्रर्वतक द्वारा अच्छी सेवा का प्रदाय, सफल संविदा कृषि की एक पूर्व शर्त है। इसलिए, प्रर्वतकों को उत्पादन और विपणन गतिविधियों का ठीक से समन्वय करने का निश्चित उत्तरदायित्व लेना चाहिए। प्रबंधकगण कृषकों के साथ पारस्परिक आदान-प्रदान में

पारदर्शिता सुनिश्चित करें और उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए की कृषक अपनी और प्रवर्तक, दोनों की बाध्यताओं को समझें। निम्नांकित मध्यस्थता द्वारा संविदा कृषि व्यवस्थाओं में कृषकों की चूक को कम किया जा सकता है:

(क) कृषक संघों का आयोजन :- समूह के भीतर बराबर का दबाव, संभावित चूक कर्ताओं को छांट देता है और चूक की जोखिम को कम कर सकता है। इसके अतिरिक्त मापदंड का अर्थशास्त्र, सेवाओं के प्रदान में प्राप्त किया जा सकता है, जिससे लागत में कमी आयेगी। कंपनियों के साथ सौदेबाजी में वरदहस्त प्राप्त कर कृषक भी लाभ प्राप्त करेंगें।

(ख) अच्छा संचार और कृषकों का गहन अनुश्रवण :- अच्छा संचार, कंपनी कृषक संबंधों और विश्वसनीयता का पोषण करता है, जिसका, रची गई चूक को कम करके, सार्थक प्रभाव पड़ता है। जहां गुणवत्ता की सुनिश्चितता और उपज का पता लगाने तथा पूरी श्रृंखला में वांछित पारिश्रमिकता सिद्ध करने की आवश्यकता हो, समूह के सदस्य एक दूसरे का अनुश्रवण कर सकते हैं।

(ग) प्रदत्त सेवाओं का परिक्षेत्र एवं गुणवत्ता :- प्रदत्त सेवाओं का जितना अधिक अच्छा और विस्तृत परिक्षेत्र होगा, उतनी ही घनिष्ठता, कृषक और व्यापार के बीच होगी और सम्बन्ध विच्छेद करनी से उतनी ही अधिक हानि कृषक उठाएगा।

(5) संविदा कृषि के प्रकार:-

संविदा कृषि अनुबंध, जो परस्पर अनन्य वर्गों में न होकर, तीन श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते है -

(एक) मंडी विनिर्दिष्टियां,

(दो) संसाधन प्रदायी, तथा

(तीन) उत्पादन प्रबंधन।

मंडी विनिर्दिष्ट संविदाएं, फसल (कटाई) पूर्व के अनुबंध हैं जो फर्म और उत्पादक को नियत विशिष्ट शर्तों पर फसल के विक्रय हेतु शासित होने के लिए अनुबंधित करते हैं। ये शर्तें बहुधा मूल्य, गुणवत्ता एवं अवधि का उल्लेख करती हैं। संसाधन प्रदायी संविदाएं, प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता को विपणन अनुबंध के लिए विनिमय में आदान की पूर्ति, विस्तार या साख प्रदान करने के लिए बाध्य करती हैं। उत्पादन प्रबंधन संविदाएं कृषक को सामान्यतः विपणन अनुबंध के लिए या संसाधन प्रावधान विनिमय में निश्चित उत्पादन पद्धति या आदान प्रणाली को अपनाने के लिए बांधती हैं। विभिन्न संयोजनों में ये संविदा नमूने, फर्मों को अपनी स्वयं की फसल उगाए बिना उत्पादन प्रौद्योगिकी को प्रभावित करने, और लापता मंडियों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने की अनुमति देते हैं। ईटन एवं शेफर्ड ने "संविदा कृषि", वृद्धि के लिए भागीदारी शीर्षक की अपनी पुस्तक (खाद्य एवं कृषि संगठन-2001) में संविदा कृषि के लिए पांच संगठनात्मक आदर्श प्रस्तुत किए है:

(क) केंद्रित आदर्श :- प्रवर्तक कृषकों से प्रसंस्करण या विनिर्माण के लिए फसल क्रय करता है और उत्पादन बेचता है। उत्पादन के प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ में कोटा वितरित कर दिया जाता है और गुणवत्ता, कसावट से नियन्त्रित की जाती है। यह आदर्श सामान्यतः तंबाकू, कपास, गन्ना, केले, कॉफी, चाय, नारियल और रबड़

फसलों के साथ संबद्ध होता है।

(ख) नाभिक संपत्ति आदर्श :- प्रवर्तक, प्रसंस्करण या विनिर्माण संयंत्र के निकट बागान का स्वामित्व रखता है और व्यवस्था करता है और प्रौद्योगिकी तथा व्यवस्थापन तकनीकों से कृषकों को परिचित कराता है (इन्हें कभी-कभी "उपग्रही" उत्पादक कहा जाता है)। यह वृक्षीय फसलों के लिए उपयोग किया जाता है; किंतु दुग्ध उत्पादन में भी उपयोग में लाया गया है।

(ग) बहुपक्षीय आदर्श :- इसमें प्रायः विधिक निकाय और निजी कंपनियां सम्मिलित हैं जो संयुक्त रूप से कृषकों के साथ भाग लेती हैं। यह चीन में सामान्य है, जहां शासन के विभाग, नगरीय समितियां और विदेशी कंपनियां ग्रामों और कृषकों से व्यक्तिगत संविदाओं में सम्मिलित होते हैं ।

(घ) औपचारिक या व्यक्तिगत विकसित आदर्श :- व्यक्तिगत उद्यमी या छोटी कंपनियां, विशेषकर ताजी सब्जियों और उष्ण कटिबंधीय फलों के लिए कृषकों के साथ सत्रीय आधार पर साधारण, अनौपचारिक उत्पादन संविदाएं करते हैं। सुपर बाजार अक्सर व्यक्तिगत विकासकर्ताओं के माध्यम से ताजी उपज खरीदते हैं।

(ङ) बिचौलिया आदर्श :- दक्षिण एशिया में बिचौलियों के साथ फसल उत्पादन की उप-संविदा करना सामान्य है। थाईलैण्ड में खाद्य प्रसंस्करण या विनिर्माण करने वाली बड़ी कंपनियां व्यक्तिगत "संग्राहकों" से या कृषक समितियों से फसल खरीदती हैं, जो कृषकों के साथ अपनी स्वयं की अनौपचारिक व्यवस्थाएं करती हैं।

(6) संविदा कृषि अनुबंधों की निर्दिष्टियां :-

संविदा कृषि अनुबंध, विभिन्न घटकों, जैसे कि उत्पाद की प्रकृति, वांछित प्राथमिक प्रसंस्करण या विनिर्माण, यदि कहीं हो, और पूर्ति की विश्वसनीयता के रूप में मंडियों की मांग पर अवलंबित होता है। गुणवत्ता प्रोत्साहन, भुगतान व्यवस्था, उत्पादन प्रक्रिया पर प्रवर्तक का चाहा गया नियंत्रण स्तर तथा पक्षकारगण की जो पूंजी संबद्धता है वह भी अनुबंध की प्रकृति को प्रभावित करता है। उदाहरण स्वरूप तैल-ताड़ (खजूर), चाय या शक्कर, जहां महत्वपूर्ण दीर्घ अवधि विनियोग समस्त पक्षों से वांछित है, समाहित करने वाली संविदा अलग प्रकार की होगी क्योंकि फलों और सब्जियों जैसी वार्षिक फसलों को समाहित करने वाली सुपर बाजारों के लिए उसी प्रकार की संविदाएं नहीं हो सकती जैसा कि समुद्रपार (विदेशी) मंडियों के लिए नियत उपज को समाहित करने वाली होगी, जिसका कीटनाशक उपयोग और उत्पाद की गुणवत्ता, साथ ही साथ उच्चतर प्रस्तुती एवं पैकिंग मानक पर कठोर नियंत्रण होता है। यद्यपि, निगमित निकाय, शासकीय अभिकरण और व्यक्तिगत विकासकर्ता, अनुबंध की उत्प्रेरक आवश्यकता है, कृषक और उनके प्रतिनिधियों को आवश्यकीय रूप से अनुबंध का प्रारूपण करने, और कृषकगण समझ सकें ऐसे पदों में विनिर्दिष्ट शब्दावली देने के लिए, सहयोग करने का निश्चित रूप से अवसर दिया जाना चाहिए। प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुबंध पूरी तरह से समस्त कृषकों द्वारा समझ लिया जाए। सम्मिलित किए गए निबंधन और शर्तें, स्वतंत्र जांच के लिए लेखबद्ध किए जाने चाहिए और प्रतियां कृषकों के प्रतिनिधियों को दी जानी चाहिए। प्रतियां संबद्ध शासकीय अभिकरणों को भी दी जानी चाहिए।

अनुबंध की विधिक रूप-रेखा में भारतीय संविदा अधिनियम की न्यूनतम विधिक वांछाओं का पालन होना चाहिए, स्थानीय पृथा को ध्यान में रखना चाहिए और

मध्यस्थता के लिए व्यवस्था निश्चित रूप से संबोधित की जाए। लिखित संविदा के रूप में अनुबंध, प्रायः प्रत्येक पक्षकार के उत्तरदायित्व और बाध्यताओं, वह तरीका जिसमें अनुबंध प्रभावशील किया जा सकता है और यदि संविदा भंग होती है तो किए जाने वाले उपचारों को सम्मिलित करते हैं। अधिकतर प्रकरणों में अनुबंध, प्रवर्तक और कृषक के बीच किए जाते हैं, यद्यपि बहुपक्षीय व्यवस्थाओं में, सविदाएं, प्रवर्तक और कृषक संघों या सहकारी समितियों के बीच हो सकती है।

विनिर्दिष्टियां :-

मंडी विनिर्दिष्ट, संसाधन प्रदायी और उत्पाद प्रबन्धन संविदाओं की विस्तृत श्रेणियों में फर्मों को उन निबन्धनों का उल्लेख अवश्य करना चाहिए, जिनमें ये सम्मिलित हों :

(क) विपणनः- कितनी उपज, कब, किस मूल्य पर कितनी मात्रा में क्रय की जाएगी? उत्पादक को अपना समस्त उत्पाद, एक भाग या नियत मात्रा अवश्य प्रदाय करना चाहिए।

(ख) आदान और तकनीकी सहायता :- आदान और तकनीकी सहायता कैसे प्रदान की जाएगी, कितनी और किस मूल्य पर और मात्रा में?

(ग) साख :- क्या उत्पादक, साख नगद या प्रकार में प्राप्त करेगा? किस ब्याज दर पर कितनी प्राप्त की जाएगी ? सहवर्ती (समानांतर) क्या होगी।

(घ) उत्पादन प्रबंधन :- कौन सी प्रौद्योगिकी प्रक्रिया उत्पादक को अपनाना चाहिए, उत्पादक का अनुश्रवण कैसे किया जाएगा?

(ङ) प्रदाय और श्रेणीकरणः प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता के लिए फसल का परिवहन कौन करेगा और गुणवत्ता का श्रेणीकरण कैसे किया जाएगा?

(च) संविदा की अवधि,

(छ) वह तरीका जिसमें मूल्य की गणना की जाएगी

(एक) प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में मूल्यों का निर्धारण करके,

(दो) विश्व या स्थानीय मंडियों के मूल्यों के उतार-चढ़ाव के आधार का उपयोग करके,

(तीन) मंडी स्थल मूल्यों का उपयोग करके,

(चार) जब कच्चे या प्रसंस्कृत या विनिर्मित उत्पाद के बेचे जाने तक कृषक को भुगतान की जानकारी नही होती, परेषण मूल्य का उपयोग करके,

(पांच) जब सहमति आधारित मूल्य कृषक प्राप्त करता है, प्रवर्तक द्वारा उत्पाद बेच दिये जाने पर अन्तिम मूल्य के साथ, मूल्य का विभाजन करके.

(ज) कृषकों को भुगतान करने तथा साख अग्रिमों के वापसी की मांग के लिए प्रणाली,

(झ) बीमा समाहित करने की व्यवस्था,

(ञ) अधिसूचित शासकीय अभिकरण और विवाद निश्चय तन्त्र के साथ संविदा कृषि अनुबंध का पंजीकरण।

39. संविदा खेती :-

संविदा खेती के कृषि उपज के उत्पादक और क्रेता के बीच **प्ररूप - उन्नीस** में लिखित करार के अधीन करार में विहित रीति एवं प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। संविदा खेती के लिए किया जाने वाला करार **प्ररूप - उन्नीस** में निष्पादित होगा जिसमें संविदा खेती की विशिष्टियां, निबंधन तथा शर्तें अंतर्विष्ट होगी।

40. संविदा खेती का रजिस्ट्रीकरण (पंजीकरण) :-

(1) क्रेता, संविदा खेती के प्ररूप (19) में लिखित करार के रजिस्ट्रीकरण के लिए मंडी समिति को **प्ररूप - बीस** में आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदक के साथ क्रेता द्वारा 1000.00 (एक हजार रुपये) रजिस्ट्रीकरण फीस जमा की जाएगी।

(2) संविदा खेती के रजिस्ट्रीकरण (पंजीकरण) हेतु आवेदन :-

अधिनियम की धारा 37-क(1) में उल्लेखित क्रेता अधिनियम की धारा 37-क(2) के अंतर्गत मंडी समिति में रजिस्ट्रीकरण के लिए **प्ररूप - बीस** में एक आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदन फार्म मंडी समिति द्वारा निःशुल्क प्रदाय किया जाएगा। आवेदन के साथ निर्धारित रजिस्ट्रीकरण फीस का डिमांड ड्राफ्ट एवं अन्य आवश्यक अभिलेख संलग्न होना आवश्यक है अन्यथा आवेदन में कमियों का उल्लेख करते हुए आवेदन तत्समय मंडी समिति द्वारा वापस कर दिया जाएगा।
उपरोक्तानुसार रजिस्ट्रीकरण हेतु प्राप्त आवेदन नस्ती बनाकर पंजीबद्ध करते हुए अनुज्ञप्ति शाखा प्रभारी द्वारा मंडी सचिव को आगामी कार्यवाही के लिए प्रकरण हस्तांतरित किया जाएगा। इस नस्ती पर बाजार व्यवस्था एवं मंडी शुल्क शाखा तथा लेखा शाखा प्रभारियों का अभिमत प्राप्त किया जाएगा। निरीक्षक/ मंडी सचिव का यह दायित्व होगा कि वह आवेदन में उल्लेखित तथ्यों की जांच स्वयं करते हुए अपने अभिमत सहित निर्णय हेतु प्रकरण भारसाधक अधिकारी/ अध्यक्ष मंडी समिति के समक्ष प्रस्तुत करे।
संविदा खेती के ऐसे प्रत्येक प्रकरण का निराकरण आवेदन प्राप्त होने के तीस दिन की कालावधि में करा लिया जाना आवश्यक है। निर्णय लिखित में स्पष्ट स्वीकृति या अस्वीकृति का लिया जाएगा। अस्वीकृति की दशा में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन संलग्न किए गए समस्त अभिलेखों सहित मय डिमांड ड्राफ्ट के पंजीकृत डाक से आवेदक को वापस कर दिया जाएगा, किन्तु यह समस्त कार्यवाही मंडी समिति द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के 6 सप्ताह में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। संविदा खेती के लिए निष्पादित करार के मंडी

समिति में रजिस्ट्रीकरण करवाने के पश्चात् मंडी समिति द्वारा **प्ररूप - इक्कीस** में करार के पंजीकरण की प्रति क्रेता एवं उत्पादक दोनों को मंडी समिति द्वारा प्रदाय की जाएगी।

41. संविदा खेती के करार से उत्पन्न विवादों का निपटारा :-

(क) यदि संविदा खेती के करार के उपबंधो के संबंध में पक्षकारों (क्रेता एवं कृषि उपज के उत्पादक) के बीच कोई विवाद उद्भूत होता है तो कोई भी पक्षकार विवादों पर मध्यस्थता करने के लिए मंडी समिति के अध्यक्ष को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। मंडी समिति का अध्यक्ष पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् विवाद का हल करेगा।

(ख) उपकंडिका (क) के अधीन मंडी समिति के अध्यक्ष के विनिश्चय से व्यथित पक्षकार विनिश्चय की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रबंध संचालक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को अपील कर सकेगा। प्रबंध संचालक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अपील का निराकरण करेगा, तथा प्रबंध संचालक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

42. संविदा खेती के अधीन उत्पादित कृषि उपजों के विपणन का नियंत्रण :-

(क) संविदा खेती के अधीन उत्पादित कृषि उपज, निष्पादित करार के अनुसार उत्पादक द्वारा क्रेता को मंडी प्रागंण के बाहर मंडी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों के अधीन विक्रय की जाएगी।

(ख) संविदा खेती के अधीन विक्रीत कृषि उपज पर मंडी फीस का उद्ग्रहण तथा वसूली मंडी समिति द्वारा धारा 19 के उपबंधो के अधीन विहित की गई दरों पर उपविधि में विहित रीति अनुसार क्रेता से किया जाएगा। संविदा खेती के लिए निष्पादित करार के अनुसार यथास्थिति क्रेता द्वारा उत्पादक से अधिसूचित कृषि उपज के प्राप्ति के 14 दिवस की कालावधि में अथवा अधिसूचित कृषि उपज के मंडी क्षेत्र से निर्गमन/ विक्रय/ प्रसंस्करण या विनिर्माण के पूर्व नियमानुसार देय मंडी फीस का भुगतान मंडी समिति को किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा क्रेता से धारा 19(4) के प्रावधानों के अधीन दांडिक मंडी फीस की वसूली की जाएगी।

(ग) संविदा खेती के अधीन क्रेता द्वारा उत्पादक से क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज का मंडी/मंडी क्षेत्र से निर्गमन करने के पूर्व क्रेता को धारा 19(6) के अधीन मंडी समिति से अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। संविदा खेती के लिए निष्पादित करार के अधीन उत्पादक को अधिसूचित कृषि उपज के विक्रय से संबंधित देय राशि के बकाया रहने अथवा धारा 37-क(3) एवं 37-क(4) के अधीन विवाद जारी रहने पर अथवा धारा 19 के उपबंधों के अधीन देय मंडी फीस/निराश्रित शुल्क के बकाया रहने की स्थिति में मंडी समिति द्वारा क्रेता को ऐसी प्रश्नगत अधिसूचित कृषि उपज या उससे प्राप्त प्रसंस्कृत या विनिर्मित उत्पाद के निर्गमन/ विक्रय के लिए धारा 19(6) के अधीन अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किया जाएगा, और ऐसी प्रश्नगत अधिसूचित कृषि उपज या उससे प्राप्त उत्पादन को धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा अभिगृहित किया जा सकेगा।

43. निरसन तथा व्यावृत्तियां :-

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) धारा 80 के अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति ——— के लिए बनाई गई उपविधि 1987 के भाग-1 से भाग-3 एवं इनके प्ररूप व निर्देश एतद्द्वारा निरस्त किए जाते है।

ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त उपविधि या तदाधीन जारी निर्देश की ऐसी बात जो इस उपविधि से असंगत ना हो, लागू रहेगी।